



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022025-260922
CG-DL-E-12022025-260922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/ माघ 21, 1946

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2025

मामला सं. एडीडी (ओआई) - 17/2024)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लूफ़ोसिनेट और इसके साल्ट' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

फा. सं. 6/19/2024- डीजीटीआर.—

क. मामले की पृष्ठभूमि

- समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'पाटनरोधी नियमावली' अथवा 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए एस्टल लाइफ इंडिया लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, यूनाइटेड फास्फोरस (इंडिया) एलएलपी, यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशंस लिमिटेड और स्वाल कारपोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'घरेलू उद्योग अथवा 'आवेदक' के रूप में कहा गया है) ने चीन जन.

गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में कहा गया है) से 'ग्लूफोसिनेट और इसके साल्ट' (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' अथवा 'संबद्ध वस्तु' के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 29 जून 2024 की अधिसूचना सं. 6/19/2024-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई, ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में कथित कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है :

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 जून 2024 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संगत सूचना प्रदान करने और जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत कराने के लिए कहा गया।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदकों द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी अनुरोध किया गया कि वे निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने का परामर्श दें। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति उन्हें भी भेजी गई, जिसमें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते भी शामिल थे।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन. गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी :

क्र. सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम
i.	एग्रोड्रैगन कं. लिमिटेड
ii.	बीएसएसएफ
iii.	फुहुआ टोंगडा एग्रो-केमिकल टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड
iv.	जियांग्सू हुईफेंग बायो एग्रीकल्चर कं. लिमिटेड
v.	लियर केमिकल कं. लिमिटेड
vi.	लिमेन केमिकल कंपनी लिमिटेड
vii.	शेडोंग बिन्नॉंग टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड
viii.	शंघाई क्रिज़ोउ ज़ियुई कं. लिमिटेड
ix.	वेइफियांग शिनलू केमिकल कं. लिमिटेड
x.	योंगनॉंग बायोसाइंसेज कं. लिमिटेड

- छ. उपरोक्त के उत्तर में, चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रतिक्रिया दी है और निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है :

क्र. सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम
i.	लियर केमिकल कं. लिमिटेड
ii.	शंघाई एग्रोट्री केमिकल कं. लिमिटेड

- ज. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं को भी प्रश्नावली भेजकर नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की : -

क्र. सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद के उपयोगकर्ताओं/ आयातकों के नाम
i.	अमिश क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड
ii.	बीएसएफ इंडिया
iii.	क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
iv.	कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

- झ. जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर में, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एक उपयोगकर्ता प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।
- ञ. चाइना क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीसीपीआईए) द्वारा अनुरोध किए गए हैं और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में उन पर उचित रूप से विचार किया गया है।
- ट. जिन निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस जांच पर प्रतिक्रिया नहीं दी है अथवा संगत सूचना प्रदान नहीं की है, अतः उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- ठ. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। केवल आवेदकों ने ही आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल की है। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल नहीं की है।
- ड. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।
- ढ. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन अवधि (पीयूसी) के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो तो पीसीएन का प्रस्ताव करने का अवसर दिया गया, जो कि अगोपनीय पाठ आवेदन को परिचालित करने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर दिया गया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के आधार पर, पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए दिनांक 22 अगस्त 2024 को एक बैठक आयोजित की गई।
- ण. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और जांच के लिए पीसीएन पद्धति 5 सितंबर 2024 को अधिसूचित की गई।
- त. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी, साथ ही उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 18 अक्टूबर 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित अनुरोध दाखिल करें और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हो तो प्रस्तुत करें।
- द. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
- ध. वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध

किया गया था। यह अनुरोध प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है और इस अंतिम जांच परिणाम में इस पर विचार किया गया है।

- न. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदकों के परिसरों का भौतिक सत्यापन किया।
- न. क्षतिरहित कीमत (जिसे इसके बाद 'एनआईपी' कहा गया है) का निर्धारण संबद्ध वस्तुओं की भारत में उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर किया गया है, जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- प. जांच के आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बना है, दिनांक 21 जनवरी 2025 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणी करने के लिए दिनांक 28 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध, दिए गए तर्कों और हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण की टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगतता, पुनरावृत्ति न होने और साक्ष्य के साथ समर्थित पाए जाने की सीमा तक विचार किया गया है।
- फ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर इस सीमा तक विचार किया है कि वे साक्ष्यों से समर्थित हैं तथा वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं।
- ब. इस अंतिम जांच परिणाम में "****" एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को दर्शाता है तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।
- भ. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.52 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

“3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ग्लूफ़ोसिनेट और उसका साल्ट है। विचाराधीन उत्पाद को ग्लूफ़ोसिनेट अमोनियम (डी, एल-फॉस्फिनोथ्रिसिन या 2-अमीनो-4-(हाइड्रॉक्सी मिथाइल फ़ॉस्फोनिल) के नाम से भी जाना जाता है।

ग्लूफ़ोसिनेट सफ़ेद से हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जिसमें हल्की तीखी गंध होती है और यह अत्यधिक घुलनशील और वाष्पशील पदार्थ होता है। ग्लूफ़ोसिनेट का व्यापार दो रूपों में किया जाता है, अर्थात् तकनीकी और निर्माण। ग्लूफ़ोसिनेट तकनीकी की पूरी खपत ग्लूफ़ोसिनेट निर्माण के उत्पादन में होती है। ग्लूफ़ोसिनेट तकनीकी का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं होता और इसका उपयोग करने के लिए इसे अनिवार्य रूप से निर्माण में संसाधित करना होता है। तकनीकी चरण से निर्माण के चरण तक की प्रक्रिया एकल चरण प्रक्रिया होती है। वाणिज्यिक तौर पर निर्माण के लिए ग्लूफ़ोसिनेट का आयात नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें मुख्य सांद्रता (कंसंट्रेशन) पानी की होती है और खरीदने की लागतें अधिक होती हैं।

विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। तथापि, उत्पाद को 38089190, 38089390 और 38089990 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
 - i. नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार ग्लूफ़ोसिनेट तकनीकी और फॉर्मूलेशन को समान वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि वे प्रतिस्थापन योग्य नहीं हैं।

- ii. उत्पाद के दायरे में फ्रॉम्युलेशन को शामिल करके, आवेदकों ने धोखाधड़ी के प्रावधान को लागू करने की कोशिश की है जो केवल तभी लागू होता है जब शुल्क लगाया जाता है। तथापि, ऐसी वस्तुएं, जो आयातित नहीं हैं, उन्हें दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- iii. ग्लूफोसिनेट फ्रॉम्युलेशन को भारत में न तो आयात किया जाता है और न ही आयात किया जा सकता है। फ्रॉम्युलेशन के आयात के लिए एक विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। संपूर्ण फ्रॉम्युलेशन श्रेणी के लिए एक भी लाइसेंस नहीं है।
- iv. लाइसेंस प्राप्त करना एक महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है जो 3 से 4 वर्ष तक चलती है। इसमें दो वर्षों में दो मौसमों में परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है, जिसमें अंतिम उत्पाद अनुमोदन सीआईबीआरसी के कठोर मूल्यांकन और निर्णय पर निर्भर करता है, जो प्रायः इच्छित फसल के लिए विशिष्ट होता है।
- v. बाजार में अन्य व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध हैं। यदि फ्रॉम्युलेशन की कीमत बढ़ जाती है, तो किसान अन्य विकल्प खरीद लेंगे।
- vi. प्राधिकारी को तकनीकी से फ्रॉम्युलेशन में रूपांतरण लागत की जांच करने के लिए फ्रॉम्युलेशन के उत्पादकों का स्थल पर ही सत्यापन करना चाहिए।
- vii. आवेदकों ने हॉट एंड कोल्ड रोल्ड उत्पादों की संयुक्त जांच पर भरोसा किया, जिसमें इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि इन उत्पादों के लिए अलग-अलग जांचें भी की गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था। अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा लिए गए निर्णय केवल मूल मामले में शामिल विशिष्ट पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होते हैं।
- viii. आवेदकों के अनुरोधों के विपरीत, तकनीकी को फार्मूलेशन में परिवर्तित करने से आयातकों द्वारा किया गया मूल्य संवर्धन 30% है।
- ix. दिनांक 28 अप्रैल 1992 को सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समिति द्वारा अपनाई गई पैनेल रिपोर्ट में - वाइन और अंगूर उत्पादों के संबंध में - संयुक्त राज्य अमेरिका - उद्योग की परिभाषा में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि चूंकि वाइन - अंगूर उत्पादकों और वाइनरी के लिए दो अलग-अलग उद्योग मौजूद थे, इसलिए, दोनों को एक ही उद्योग नहीं कहा जा सकता। यहां भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए।
- x. आवेदकों ने विभिन्न चल रही जांचों पर भरोसा किया है। आवेदक उन मामलों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, जहां प्राधिकारी द्वारा अभी तक जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।
- xi. पैराक्रेट संबद्ध वस्तुओं का संभावित विकल्प है। पैराक्रेट और ग्लूफोसिनेट दोनों के लिए भारत में सख्त उपयोग नीतियाँ हैं ताकि सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और स्वास्थ्य जोखिम को कम किया जा सके।

ग.2 आवेदकों के अनुरोध

6. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किया है :
 - i. यूपीएल ग्रुप द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने से पहले भारत में कोई उत्पादन नहीं होता था। यूपीएल ने इस उत्पाद को घरेलू बाजार में पेश किया। पहला प्लांट 2016 में स्थापित किया गया था।
 - ii. ग्लूफोसिनेट टेक्निकल का उत्पादन मुख्य रूप से चीन जन. गण. और भारत में होता है, जबकि यूरोपीय संघ में इसका उत्पादन बहुत कम होता है। चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए, संघ के उत्पादक यूरोपीय संघ ने भी टेक्निकल का उत्पादन बंद कर दिया है और चीन से आयातित टेक्निकल को फ्रॉम्युलेशन में बदलने के लिए अपने प्रचालनों को कम कर दिया है।
 - iii. वर्ष 2004 से खरपतवार विज्ञान निदेशालय ने पैराक्रेट और ग्लाइफोसेट की तुलना में ग्लूफोसिनेट को अधिक सुरक्षित, अवशेष मुक्त और सतत खरपतवार नियंत्रण के लिए बढ़ावा दिया है।
 - iv. यूपीएल ग्रुप ने 2018 में भारत में इस उत्पाद को लॉन्च किया था, जिसके तहत करीब 72,000 ग्राम-स्तरीय प्रदर्शन और 58,900 से अधिक फील्ड दिवस आयोजित किए गए, जो कुल मिलाकर 161 वर्षों के कर्मचारी प्रयास के बराबर है, तथा करीब 1 मिलियन किसानों तक पहुंच बनाई गई।
 - v. ग्लूफोसिनेट टेक्निकल का व्यापार सामान्य तौर पर 95% सांद्रता (कंसेन्ट्रेशन) के साथ किया जाता है। ग्लूफोसिनेट फ्रॉम्युलेशन 13.5% सांद्रता अथवा 50% सांद्रता के साथ हो सकता है। ग्लूफोसिनेट

- फ्रॉम्युलेशन कुछ और नहीं बल्कि ग्लूफोसिनेट टेक्निकल को विलायक के साथ मिलाकर लागत वृद्धि को वहन करने से बनता है।
- vi. उच्च जल सामग्री के कारण, ग्लूफोसिनेट को फ्रॉम्युलेशन के रूप में लाना ले जाना वाणिज्यिक रूप से अव्यवहारिक है क्योंकि शिपिंग लागत अधिक है। चीन से केवल तकनीकी रूप में ग्लूफोसिनेट का आयात किया जाता है। यूरोपीय संघ से सीमित फ्रॉम्युलेशन आयात होते हैं।
 - vii. आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद में समान विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रियाओं और उपयोगों को साझा किया गया है, जिससे उनका व्यावसायिक रूप से आदान पदान किया जाता है। ग्लूफोसिनेट फ्रॉम्युलेशन और तकनीकी में समान विशेषताएं हैं। ग्लूफोसिनेट तकनीकी से फ्रॉम्युलेशन की प्रक्रिया रासायनिक/ तकनीकी विशेषताओं को नहीं बदलती है। यह केवल सामग्री की सांद्रता को पतला करता है।
 - viii. डब्ल्यूटीओ पाटनरांधी करार में कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो विचाराधीन उत्पाद के निर्धारण के लिए मापदंडों का प्रावधान करता है। ग्लूफोसिनेट तकनीकी का स्वतंत्र उपयोग नहीं है और इसे अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना चाहिए। आयात किए गए ग्लूफोसिनेट तकनीकी की पूरी खपत ग्लूफोसिनेट तैयार करने के उत्पादन में होती है।
 - ix. तकनीकी में प्रति इकाई निवेश [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन से अधिक है, जबकि फ्रॉम्युलेशन के मामले में प्रति इकाई निवेश [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन के आसपास है। तकनीकी को फ्रॉम्युलेशन में बदलने के लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है।
 - x. ग्लूफोसिनेट को फ्रॉम्युलेशन में परिवर्तित करने के लिए अमोनियम एमओ और माइरिस्टाइल अमीन ऑक्साइड जैसे कम लागत वाले सॉल्वेंट के साथ सामान्य डाइल्यूशन की आवश्यकता होती है, जिससे यह एक छोटी वृद्धिशील प्रक्रिया बन जाती है।
 - xi. यदि बाजार से खरीदे गए अन्य कच्चे माल की लागत को छोड़ दिया जाए, तो अकेले तकनीकी की लागत फ्रॉम्युलेशन की लागत का लगभग [***] है। तकनीकी से फ्रॉम्युलेशन के बीच मूल्य संवर्धन 10% है।
 - xii. ग्लूफोसिनेट के सभी रूपों को इसके दायरे में शामिल किया जाना चाहिए; अन्यथा, आयात तकनीकी रूप से फ्रॉम्युलेशन की ओर स्थानांतरित हो जाएगा।
 - xiii. विभिन्न विगत जांचों में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद तथा उसके मध्यवर्ती या आगे संसाधित रूप दोनों को एक ही दायरे में शामिल किया है।
 - xiv. वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं। यूएसआईटीसी ने 2, 4-डी के आयात में अपनी जांच के दायरे का विस्तार करते हुए 2, 4-डी युक्त सभी हर्बिसाइड्स को शामिल किया है, जिसमें 2.4-डी से बने करीब 1,500 उत्पाद शामिल हैं।
 - xv. सीवीपी-23 और थैलोसाइनिन पिगमेंट के लिए जांच में, अमेरिका और चीन ने इन मध्यवर्ती और तैयार दोनों प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया है, जबकि इन मध्यवर्ती उत्पादों का कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं होता है।
 - xvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह कहा है कि लाइसेंस के लिए आवश्यक समय 4 वर्ष का है। आवेदकों ने वर्ष 2018 में ग्लूफोसिनेट फ्रॉम्युलेशन तैयार किया था, जिसके पहले ग्लूफोसिनेट फ्रॉम्युलेशन की कोई मांग नहीं थी। यहां तक कि आयातकों ने वर्ष 2019 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, तो वे 2023 तक आयात नहीं कर पाएंगे; तथापि, उन्होंने वर्ष 2022 में आयात करना शुरू कर दिया।
 - xvii. आवेदक बड़ी संख्या में देशों को फ्रॉम्युलेशन का निर्यात करते हैं और यूरोप ने भारत को 50% क्षमता के साथ ग्लूफोसिनेट की आपूर्ति की है।
 - xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के लिए उपलब्ध विकल्पों का साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे तथा गोपनीयता का संदर्भ देते हुए उत्पाद का नाम भी नहीं बताया।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. जांच शुरुआत के समय, विचाराधीन उत्पाद को "ग्लूफोसिनेट और इसके साल्ट" के रूप में माना जाता था। ग्लूफोसिनेट को ग्लूफोसिनेट अमोनियम (डी, एल-फ्रॉस्फिनोथ्रिकिन या 2-एमिनो-4 - (हाइड्रॉक्सी मिथाइल फ्रॉस्फिनिल) के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्पाद सफ़ेद से हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसकी गंध थोड़ी तीखी होती है और यह अत्यधिक घुलनशील और वाष्पशील पदार्थ होता है।

8. यह नोट किया जाता है कि ग्लूफोसिनेट एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला व्यापक स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। खरपतवार नियंत्रण में इसकी प्रभावकारिता और विभिन्न फसलों में बहुमुखी प्रतिभा के कारण इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से आधुनिक कृषि में किया जाता है। उत्पाद का प्राथमिक अनुप्रयोग पंक्तिबद्ध फसल खेती में है, जहाँ इसे अवांछित वनस्पति को दबाने के लिए रोपण से पहले या उसके दौरान लगाया जाता है। ग्लूफोसिनेट की उपयोगिता मक्का, सोयाबीन और कपास जैसी प्रमुख फसलों तक व्याप्त है, जो किसानों को खरपतवार प्रतिस्पर्धा से निपटने और खेती वाले पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करती है।
9. विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत टैरिफ वर्गीकरण के उप-शीर्ष 38089199, 38089390 और 38089990 के अंतर्गत आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. प्राधिकारी ने प्रस्तावित पीसीएन पद्धति और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं। इसके बाद, प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति और पीयूसी के दायरे को अंतिम रूप देने के लिए हाइब्रिड मोड के माध्यम से 27 अगस्त 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ बैठक की। विचार-विमर्श के समय अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों को लिखित रूप में अपने अनुरोध दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई थी।
11. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार करने के बाद 5 सितंबर 2024 की अधिसूचना के तहत निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया।

क्र. सं.	पीसीएन मापदंड	पीसीएन कोड
1	ग्लूफोसिनेट तकनीकी	'जीटी'
2	ग्लूफोसिनेट फ़ॉर्म्युलेशन	'जीएफ'

12. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच के दायरे में ग्लूफोसिनेट फ़ॉर्म्युलेशन को शामिल करने पर आपत्ति जताई है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि इसे चीन जन. गण. से आयात नहीं किया गया है और देश में नियामक आवश्यकताओं के कारण इसे आयात नहीं किया जा सकता है।
13. प्राधिकारी यहाँ यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि 'संबद्ध उत्पाद' का दायरा जाँच के उद्देश्य और प्रयोजन पर सीधा प्रभाव डालता है। विचाराधीन उत्पाद के व्यापक दायरे से जाँच के संचालन में संभावित जटिलताओं के अलावा अनावश्यक सुरक्षा हो सकती है। साथ ही, विचाराधीन उत्पाद के संकीर्ण दायरे से घरेलू बाजार में हानिकारक पाटन को संबोधित करने के अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने में विफलता आ सकती है। विचाराधीन उत्पाद के संकीर्ण दायरे से घरेलू उद्योग को अपेक्षित उपचार प्रदान नहीं किया जा सकता है और आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा लागू किए गए उपायों से बचने के इरादे से उपायों को अपनाने के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो सकती है।
14. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उत्पाद की सभी आवश्यक तकनीकी विशेषताएँ उत्पाद के तकनीकी रूप में विकसित की जाती हैं। तथापि, अपने तकनीकी रूप में, उत्पाद का कोई उपयोग और अनुप्रयोग नहीं होता है। यह अपने तकनीकी रूप में अपना अपेक्षित कार्य नहीं करेगा। अपेक्षित कार्य करने के लिए इसे फ़ॉर्म्युलेशन रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जबकि तकनीकी रूप में आवश्यक तकनीकी गुण होते हैं, फ़ॉर्म्युलेशन रूप उत्पाद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अंतिम कार्य को पूरा करता है। तकनीकी रूप का ऐसा कोई उपयोग नहीं है, और इसके उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य इसे फ़ॉर्म्युलेशन में परिवर्तित करना है। तकनीकी रूप के उत्पादन में प्रौद्योगिकी, संयंत्र और उपकरण, निवेश, जनशक्ति, उत्पादन कौशल शामिल हैं। ग्लूफोसिनेट तकनीकी को फ़ॉर्म्युलेशन में बदलने के लिए केवल विलायक के साथ डाइल्यूशन करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तकनीकी ग्लूफोसिनेट का उत्पादन किया जाता है, जिसे बाद में अमोनियम एमओ, माइरिस्टाइल अमीन ऑक्साइड (एमओ), अमोनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड 44%, प्रोपलीन ग्लाइकोल, 1-मेथॉक्सी-2-प्रोपेनॉल आदि जैसे सॉल्वेंट्स के साथ पूरी तरह से पतला करके ग्लूफोसिनेट फ़ॉर्म्युलेशन में परिवर्तित किया जाता है। आवेदकों ने प्रस्तुत

किया है कि वे तीन फॉर्म्युलेशन कंपनियों में 20 से 25 विभिन्न प्रकार के फॉर्म्युलेशन का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की फॉर्म्युलेशन सुविधाओं पर ऑनसाइट सत्यापन किया गया और यह नोट किया गया कि विभिन्न प्रकार के फॉर्म्युलेशन के लिए उत्पादन सुविधाओं को स्थापित किया गया है। प्रतिवादी आयातक द्वारा दायर की गई सूचना से, यह देखा गया है कि वे विभिन्न प्रकार के फॉर्म्युलेशन बनाने में भी लगे हुए हैं। यह इस बात को पुष्ट करता है कि तकनीकी आधार सामग्री है और आवश्यकताओं के अनुसार इससे विभिन्न फॉर्म्युलेशन बनाए जा सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी और फॉर्म्युलेशन रूप में ग्लूफोसिनेट एक ही उत्पाद के दो रूप हैं।

15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों रूपों के बीच संबंध इसके आवेदन से भी स्पष्ट है। आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि तकनीकी रूप में उत्पाद के आयात को फॉर्म्युलेशन में बदल दिया गया है और फिर आवेदकों द्वारा बेचे गए फॉर्म्युलेशन रूप के साथ प्रतिस्पर्धा में बेचा गया है। आवेदकों ने घरेलू बाजार में तकनीकी रूप में नहीं बेचा है। चूंकि आवेदकों ने घरेलू बाजार में केवल फॉर्म्युलेशन रूप में बेचा है, इसलिए फॉर्म्युलेशन रूप में क्षति हुई है और इसने तकनीकी रूप के प्रदर्शन को प्रभावित किया है।
16. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पाद के फॉर्म्युलेशन का रूप न तो आयात किया गया है और न ही आयात करने योग्य है। तथापि, यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग ने कई देशों को फॉर्म्युलेशन का निर्यात किया है जबकि यूरोपीय संघ ने भारत को फॉर्म्युलेशन का निर्यात किया है। तथ्य यह है कि फॉर्म्युलेशन के आयातों में उच्च परिवहन लागत शामिल हो सकती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह आयात करने योग्य नहीं है। चीन से फॉर्म्युलेशन के आयातों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क के दायरे से फॉर्म्युलेशन को बाहर करने से चीन जन. गण. से फॉर्म्युलेशन का सीधा निर्यात हो सकता है, जिससे उत्पाद के पाटन के विरुद्ध घरेलू उद्योग को उपाय प्रदान करने की पूरी कवायद का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।
17. जहां तक आयातों के लिए विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता का संबंध है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि केवल लाइसेंस की जरूरत का अर्थ यह नहीं है कि उत्पाद का आयात नहीं किया जा सकता है अथवा भविष्य में आयात नहीं किया जाएगा। लाइसेंस की आवश्यकताएं और मानदंड परिवर्तन के अधीन हैं और इनका आधार व्यापार उपचार कार्रवाइयों से स्वतंत्र है। प्राधिकारी इसे जांच के लिए ध्यान में रखना उचित नहीं समझते हैं।
18. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा *ग्लूफोसिनेट और इसका साल्ट है, जो तकनीकी और फॉर्म्युलेशन दोनों रूपों में है।*
19. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत के निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ता उन्हें परस्पर बदल बदल कर उपयोग कर सकते हैं। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :
 - i. कुल उत्पादन से फॉर्म्युलेटर के उत्पादन को बाहर करने का कोई आधार नहीं है। आवेदक का यह तर्क कि पहले किसी उत्पादक को अंतिम कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए सुविधाएं स्थापित करनी होंगी और उसके बाद तैयार माल के उत्पादन को शुरू करना होगा, तभी उसे घरेलू उद्योग के रूप में योग्य माना जाएगा, यह कानून पर आधारित नहीं है।
 - ii. यदि तकनीकी को फॉर्म्युलेशन में परिवर्तित करने वाले आवेदकों को पात्र घरेलू उद्योग माना जा सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि अन्य फॉर्म्युलेटरों को घरेलू उद्योग का भाग क्यों नहीं माना जा सकता है।

घ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

21. आवेदकों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. वर्तमान आवेदन यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी और यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
 - ii. आवेदकों का संयंत्र अधिकतम मांग वाले महीनों में पूरी क्षमता के साथ काम करता है। ग्लूफोसिनेट फॉर्म्युलेशन के निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए, आवेदकों ने चीन से ग्लूफोसिनेट तकनीकी का आयात किया है। ऐसा तब भी था जब कीमतें कम होती थीं।
 - iii. आवेदकों द्वारा समूचे आयात मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किसी यूनिट के लिए और केवल निर्यात बाजार के लिए किया गया था।
 - iv. ये आयात चीन के एक असंबद्ध निर्यातक से किए गए थे और इस प्रक्रिया में कोई भी संगत चीनी संस्थाएं शामिल नहीं थीं।
 - v. आयातित ग्लूफोसिनेट तकनीकी को निर्यात बाजार के लिए तैयार किया गया था, जिसका घरेलू निर्माण में कोई भी उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा, इन आयातों की मात्रा आवेदकों के समग्र उत्पादन के सापेक्ष न्यूनतम है।
 - vi. आवेदकों ने क्षति अवधि के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है तथा आयातक-व्यापारी बनने के बजाय उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखा है।
 - vii. यूपीएल लिमिटेड भारत में इस उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। कुल भारतीय उत्पादन का पता लगाने के लिए फॉर्म्युलेटरों के उत्पादन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के एक रूप का आयात कर रहे हैं और दूसरे रूप का निर्माण करने के लिए उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं।
 - viii. चूंकि फॉर्म्युलेटरों ने विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी रूप का आयात किया है, अतः उन्हें पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।”
23. वर्तमान आवेदन यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी, यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड और स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
24. यह नोट किया जाता है कि आवेदक कंपनियां तकनीकी और फॉर्म्युलेशन दोनों रूपों में ग्लूफोसिनेट का उत्पादन कर रही हैं। यूपीएल लिमिटेड तकनीकी रूप में उत्पाद का उत्पादन करता है, जिसे यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी द्वारा आगे प्रसंस्करण करके फॉर्म्युलेशन रूप में लाया जाता है। यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड और स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय बाजार में फॉर्म्युलेशन रूप को बेचने में लगे हुए हैं, जबकि यूपीएल लिमिटेड कई देशों को तकनीकी और फॉर्म्युलेशन रूप का निर्यात करने में लगी हुई है। आवेदक कंपनियां एक-दूसरे से संबद्ध हैं और इस प्रकार कंपनियों का एक ग्रुप बनाती हैं। यूपीएल लिमिटेड ने भारत में किसी भी असंबद्ध इकाई को तकनीकी रूप नहीं बेचा है। इसके अलावा, संबंधित ग्रुप की कंपनियों ने भारत में किसी भी घरेलू उत्पादक से ग्लूफोसिनेट तकनीकी की खरीद नहीं की है।
25. जांच अवधि के दौरान यूपीएल लिमिटेड द्वारा एसईजेड इकाई में किए गए आयात, उनके स्वयं के उत्पादन का केवल [***] हिस्सा थे। यह देखने में आया है कि आवेदकों द्वारा किए गए उत्पादन के अनुपात में आयात महत्वपूर्ण नहीं हैं

और इस प्रकार से ये आवेदक की प्रमुख विनिर्माण स्थिति को नहीं बदलते हैं। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने डीटीए में तकनीकी रूप में या फ़ॉर्म्युलेशन रूप में कोई सामग्री नहीं बेची है।

26. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड और कृषि रसायन लिमिटेड ने आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए ग्लूफोसिनेट तकनीकी का आयात किया, इसे ग्लूफोसिनेट फ़ॉर्म्युलेशन में संसाधित किया और घरेलू बाजार में बेचा।
27. एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड और यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी ने यूपीएल से तकनीकी रूप लिया और उसे फ़ॉर्म्युलेशन में बदल दिया। इसके बाद, फ़ॉर्म्युलेशन को घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों में बेचा गया है। कंपनी ने क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड और कृषि रसायन लिमिटेड (चीन से तकनीकी फॉर्म आयात करने वाली कंपनियों) के साथ प्रतिस्पर्धा में घरेलू बाजार में फ़ॉर्म्युलेशन फॉर्म बेचा है।
28. प्राधिकारी यह मानते हैं कि जिन कंपनियों के पास ग्लूफोसिनेट तकनीकी के उत्पादन के लिए विनिर्माण की सुविधाएं नहीं हैं और जो केवल तकनीकी रूप को तैयार करने में लगी हुई हैं, उन्हें नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में तकनीकी और फ़ॉर्म्युलेशन दोनों रूप शामिल हैं और इन कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद के एक रूप का आयात किया है और इसे केवल दूसरे रूप में परिवर्तित किया है। तकनीकी और फ़ॉर्म्युलेशन एक ही उत्पाद के दो रूप हैं जिनमें तकनीकी रूप के उत्पादन में प्रमुख निवेश, उत्पादन तकनीक, विनिर्माण गतिविधियां, संयंत्र और उपकरण, रोजगार, कच्चा माल, उत्पादन कौशल शामिल हैं। अतः, घरेलू उत्पादकों के लिए पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए तकनीकी रूप का निर्माता होना आवश्यक है। इन कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी रूप का आयात किया है और इसे "भारत में आयात" माना गया है।
29. उपरोक्त को देखते हुए, नियम 2(ख) के प्रावधानों और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आवेदक के पास संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आवेदक सामूहिक रूप से नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग की स्थापना करते हैं और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मापदंडों को पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता और विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता और विविध अनुरोधों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
 - i. आवेदकों ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। आवेदकों को उत्पादन की मात्रा, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा और मूल्य, कर्मचारियों की संख्या के संबंध में वास्तविक जानकारी प्रदान करनी होगी।
 - ii. व्यापार सूचना सं. 10/2018 में डेटा छिपाने के लिए केवल इसलिए कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए हैं क्योंकि यह कंपनियों का एक समूह है। इसके बजाय, व्यापार सूचना में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कई उत्पादकों से जुड़े मामलों में, वास्तविक संख्या में सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
 - iii. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या आवेदकों ने व्यापार सूचना से अलग होने के लिए डीजीटीआर की अनुमति प्राप्त की थी। यदि अनुमति दी गई थी, तो पत्राचार साझा किया जाना चाहिए। यदि कोई अनुरोध नहीं किया गया था, तो जांच समाप्त की जानी चाहिए।
 - iv. कोई औपचारिक "यूपीएल ग्रुप" नहीं है जिसके लिए अनुरोध किया गया था। यह सूचना व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई है।
 - v. सभी आर्थिक मापदंडों को इस तरह से प्रकट किया जाना चाहिए जिससे स्थिति का व्यापक आकलन किया जा सके। व्यापार सूचना का अनुपालन करने में विफलता ने बाजार पर आर्थिक प्रभाव का सटीक मूल्यांकन करने की हितबद्ध पक्षकार की क्षमता को प्रभावित किया है।
 - vi. आवेदकों ने किसानों द्वारा उत्पादों की खपत और विचाराधीन उत्पाद अन्य हर्बिसाइड्स की तुलना में अधिक प्रभावी होने के बारे में कोई सूचना अथवा साक्ष्य नहीं दिया है।

ड.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

31. आवेदकों ने गोपनीयता और विविध अनुरोधों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- i. आवेदकों ने आयातों की मात्रा को गोपनीय बताने के संबंध में औचित्य प्रदान किया है क्योंकि विगत में केवल आवेदकों द्वारा आयात ही किए जा रहे थे और आयात मात्रा का प्रकटीकरण होने से आवेदकों द्वारा किए गए आयातों का प्रकटीकरण हो जाता।
- ii. आर्थिक मापदंडों के संबंध में डेटा पांच संस्थाओं से संबंधित है, जो सभी यूपीएल ग्रुप का भाग हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि डेटा प्रभावी रूप से अकेले यूपीएल का प्रतिनिधित्व करता है।
- iii. यदि हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता से परेशानी थी, तो उन्हें जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर टिप्पणियों को दायर करनी चाहिए थीं।
- iv. पैराक्रेट एक अत्यधिक टोक्सिक हर्बिसाइड है, जो मनुष्यों और वन्यजीवों के लिए हानिकारक है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने इसे "प्रतिबंधित उपयोग" के रूप में वर्गीकृत किया है, इसके आवेदन को लाइसेंस प्राप्त उपयोगकर्ताओं तक सीमित किया है, और इसे 32 देशों में प्रतिबंधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मांग में गिरावट आई है।
- v. विचाराधीन उत्पाद को प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, आयातकों को आयात करने से पहले पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यद्यपि आयातों पर प्रतिबंध नहीं है।
- vi. आवेदक ही भारत में एकमात्र ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें ग्लूफोसिनेट तकनीकी और फॉर्म्यूलेशन दोनों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के पास तकनीकी उत्पादन के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं हैं, यद्यपि कुछ उत्पादक आयातित तकनीकी से उत्पादों को बनाते हैं।
- vii. जांच की अवधि के बाद की अवधि में अन्य देशों को निर्यात मूल्य में तेजी से गिरावट आई है और प्राधिकारी उपायों के बेंचमार्क रूप को लागू करने पर विचार कर सकते हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने नियम 6(7) और व्यापार सूचना 01/2020 (प्राधिकारी द्वारा आगे की सूचना तक यथाविस्तारित) के साथ पठित दिनांक 7 सितंबर 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाठनरोधी नियमावली के नियम 7 में प्रावधान इस प्रकार हैं :-

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) एवं (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) तथा नियम 17 के उप नियम (4) में किसी भी बात के होते हुए भी नियम 5 के उप नियम (1) के प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ या जाँच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त कोई अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं जाएगी और यदि सूचना यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(3) उप नियम (2) की किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी को यह विश्वास है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"

34. गोपनीयता के संबंध में आवेदकों और अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की, जहां तक संगत माना गया, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में कि कोई औपचारिक यूपीएल ग्रुप नहीं है और चूंकि 5 से अधिक आवेदक हैं, इसलिए व्यापार सूचना स. 10/2018 के अनुसार वास्तविक सूचना को साझा किया जाना चाहिए था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यहां तक ही यूपीएल ग्रुप एक कानून संस्था नहीं है, फिर भी सूचना 5 उत्पादकों द्वारा प्रदान की जाती है जो कंपनियों के एक ग्रुप का भाग हैं। केवल एक संस्था तकनीकी के उत्पादन में लगी हुई है और दो संस्थाएं फॉर्म्युलेशन के उत्पादन में लगी हुई हैं। आवेदन दायर करने वाले कई उत्पादकों के मामले में वास्तविक डेटा के प्रकटीकरण के पीछे का तर्क यह है कि इससे विभिन्न संस्थाओं के केवल समेकित डेटा का प्रकटन होगा, जबकि विशेष कंपनियों के गोपनीय डेटा को संरक्षित किया जाएगा। तथापि, तकनीकी से संबंधित वर्तमान मामले में प्रदान की गई सूचना केवल एक कंपनी के संबंध में होगी, जबकि फॉर्म्युलेशन की बिक्री के संबंध में सूचना दो संबद्ध कंपनियों से संबंधित होगी। इसलिए, आवेदकों द्वारा दावा की गई गोपनीयता उचित मानी गई है और उसे स्वीकार कर लिया गया है।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में, कि पैराक्रेट ग्लूफोसिनेट का एक प्रतिस्थापन योग्य उत्पाद है और उपभोक्ता पैराक्रेट की ओर रुख करेंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने और यदि कानून के अनुसार उचित उपाय आवश्यक हो तो उसकी सिफारिश करने तक सीमित है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
- i. विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2016 में समाप्त हो गया तथा चीन जन. गण. को अब आगे गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जा सकता।

च.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

38. आवेदकों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
- i. विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक पूंजी-प्रधान इकाई है। उत्पाद के लिए नियोजित प्रति इकाई अचल संपत्ति लगभग [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन है। लागत पर 5% प्रतिफल का तात्पर्य आवेदकों द्वारा लगाई गई अचल संपत्तियों पर केवल [***] प्रतिफल होगा। यह बैंक रिटर्न दर से कम है और यदि यह लाभ मार्जिन आदर्श माना जाता है तो कोई भी उत्पादक निवेश नहीं करेगा। [***] नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की अनुमति दी जा सकती है।
- ii. हितबद्ध पक्षकार एमईटी प्रश्नावली दाखिल करने में विफल रहे हैं। अतः, सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7, अनुबंध I के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

39. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधान इस प्रकार है :

"(क) जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे :

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांच अधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है :

1. यदि जांच अधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

ii. आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

40. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ अनुबंध-1 के पैरा 7 पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग

में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार द्वारा संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

41. यह नोट किया जाता है कि धारा 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान को एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 (क) (i) के तहत दायित्व के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसके लिए नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/ डेटा के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के प्रतिवादी वाले उत्पादकों/ निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, अतः सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है।
42. प्राधिकरण ने विभिन्न निर्णयों में निहित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य के निर्माण पर मौजूदा न्यायशास्त्र को भी नोट किया है। ये निर्णय उपयुक्त विकल्प के चयन और उससे संबंधित दायित्वों से संबंधित नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के कार्यान्वयन के बारे में निर्देश प्रदान करते हैं।
43. निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर विषयगत देश के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
 - i. लियर केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - ii. शंघाई एग्रोटी केमिकल कंपनी लिमिटेड
44. चूंकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य i) कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाता है ii) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य, iii) या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में कीमत या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित किया जाता है।
45. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विषयगत वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उत्पाद का मुख्य उत्पादन भारत या चीन में होता है और यूरोपीय संघ में इसका उत्पादन कम होता है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का समर्पित वर्गीकरण नहीं है। इच्छुक पक्षों ने उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए, चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सका।
46. इसलिए, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण "भारत में वास्तव में देय मूल्य" के रूप में किया है, जैसा कि पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

च.3.2 चीन जन. के लिए निर्यात मूल्य

47. चीन जनवादी गणराज्य में विषयगत वस्तुओं के उत्पादक लीयर केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भाग लिया है तथा एक पूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल की है। लीयर केमिकल कंपनी लिमिटेड ने विषयगत वस्तुओं का भारत को सीधे निर्यात नहीं किया है। भारत को उनका निर्यात असंबंधित निर्यातक अर्थात् शंघाई एग्रोटी केमिकल कंपनी लिमिटेड

के माध्यम से किया गया है। शंघाई एग्रोट्री केमिकल कंपनी लिमिटेड ने वर्तमान जांच में भाग लिया है तथा निर्धारित प्रारूपों में प्राधिकारी को प्रासंगिक विवरण उपलब्ध कराया है।

48. जांच की अवधि के दौरान, लियर केमिकल ने भारत को विषयगत वस्तुओं की [***] मीट्रिक टन की रिपोर्ट चालान मूल्य [***] अमेरिकी डॉलर पर दी है। यह देखा गया है कि उत्पादक की आयात मात्रा डीजी सिस्टम डेटा के अनुसार आयात की मात्रा से मेल नहीं खाती है जो [*** मीट्रिक टन] की आयात मात्रा दर्शाती है।
49. उत्पादक को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें उत्तर में बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम डेटा के अनुसार अंतर पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। उत्पादक अंतरों को समेटने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्राधिकरण ने जवाब को अस्वीकार कर दिया है।
50. चीन जनवादी गणराज्य के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए शुद्ध निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य का उल्लेख नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.3 डंपिंग मार्जिन

51. ऊपर बताए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, डंपिंग मार्जिन की गणना की गई है और नीचे दिखाया गया है। यह देखा गया है कि डंपिंग मार्जिन सकारात्मक है।

एस.एन.	विवरण	सामान्य मूल्य	शुद्ध निर्यात मूल्य	डंपिंग मार्जिन	डंपिंग मार्जिन	श्रेणी
		यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	%	%
1	कोई भी निर्माता	***	***	***	***%	20-30

छ. चोट की जांच

छ.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियां

52. अन्य इच्छुक पक्षों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:
 - i. 2022-23 एक असामान्य अवधि थी और मांग में नाटकीय वृद्धि के कारण क्षति विश्लेषण के लिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
 - ii. 2021-22 से 2022-23 तक स्थापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। हालांकि, कर्मचारियों की संख्या में थोड़ी कमी आई, जबकि वेतन और मजदूरी लगभग दोगुनी हो गई।
 - iii. आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में 2022-23 में ब्याज और मूल्यहास बढ़ गया, भले ही स्थापित क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ।
 - iv. 2022-23 में असामान्य परिस्थितियों के बावजूद, आवेदकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। इस प्रकार, चीन पीआर से आयात से कोई पुष्ट क्षति नहीं हुई है।
 - v. नियोजित पूंजी पर 22% का रिटर्न नहीं दिया जाना चाहिए।
 - vi. चीन पीआर में उत्पादन क्षमता के बारे में दावा निराधार है। इसके अलावा, यह तथ्य कि चीनी उत्पादक अधिशेष क्षमता का उपयोग करने के लिए निर्यात करने की संभावना रखते हैं, अटकलें हैं और निराधार हैं।
 - vii. आवेदकों के इस दावे के विपरीत कि वितरकों ने आयातित उत्पादों की कम कीमत के कारण उत्पाद का फॉर्म्यूलेशन फॉर्म वापस कर दिया, वितरकों ने खराब गुणवत्ता के कारण उत्पाद वापस किया।
 - viii. आयात उत्पाद की मांग पर निर्भर करता है। आवेदकों द्वारा किए गए आयात से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आयात की तीव्रता पीक और नॉन-पीक सीजन में मांग और आपूर्ति के कार्य पर निर्भर करती है। अधिकांश आयात केवल कुछ तिमाहियों में ही हो रहे हैं।

छ.2 आवेदकों द्वारा प्रस्तुतियाँ

53. आवेदकों ने चोट और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- i. चीनी उत्पादक प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के उद्देश्य से न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अन्य बाजारों में भी ग्लूफोसिनेट की डंपिंग कर रहे हैं।
- ii. दो नए फार्मूलेर्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड और कृषि रसायन लिमिटेड ने तकनीकी उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं न होने पर भी फार्मूले के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया, जिसके कारण आयात में तीव्र वृद्धि हुई।
- iii. वर्ष 2021-22 में उत्पाद की मांग में गिरावट आई, वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई तथा जांच अवधि में इसमें गिरावट आई। निर्यात उद्देश्यों के लिए किए गए आयात के कारण मांग में गिरावट देखी गई। यदि निर्यात के लिए किए गए आयात को छोड़ दिया जाए, तो मांग में लगातार वृद्धि देखी जाएगी।
- iv. जांच अवधि में विषयगत देश से आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। आधार वर्ष में आयात *** मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में *** मीट्रिक टन हो गया।
- v. घरेलू भारतीय बाजार में खपत के लिए चीन जनवादी गणराज्य से आयात 2022-23 में शुरू हुआ और जांच की अवधि में बढ़ गया है। पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आयात में 1000% की वृद्धि हुई।
- vi. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में विषय देश से आयात में तेजी से वृद्धि हुई। देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर न होने के बावजूद आयात में वृद्धि हुई।
- vii. आयात मूल्य में भारी गिरावट आई है। आयात मूल्य में गिरावट उत्पादन लागत में किसी भी तरह की कमी के बिना हुई है।
- viii. वर्ष 2022-23 तक ग्लूफोसिनेट टेक्निकल के आयात मूल्य और ग्लूफोसिनेट टेक्निकल के लिए कच्चे माल की लागत दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत में 23% की गिरावट आई जबकि आयात मूल्य में 54% की गिरावट आई।
- ix. यूपीएल लिमिटेड ने संबंधित पक्षों को ग्लूफोसिनेट तकनीकी बेची है और घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षों को केवल फॉर्मूलेशन फॉर्म बेचा गया है। तकनीकी के विक्रय मूल्य को मूल्य कटौती गणना के लिए नहीं माना जा सकता है।
- x. मूल्य कटौती की गणना समायोजित फॉर्मूलेशन बिक्री मूल्यों के आधार पर की जा सकती है, ताकि तकनीकी और तकनीकी की वास्तविक पहुंच कीमतों का पता लगाया जा सके। प्राधिकरण आवेदकों के फॉर्मूलेशन मूल्यों की तुलना आयातित तकनीकी का उपयोग करने वाले अन्य फॉर्मूलेटों के साथ करके भी मूल्य कटौती का निर्धारण कर सकता है।
- xi. जांच अवधि से पहले आवेदकों की बिक्री लागत की तुलना में आयात मूल्य काफी अधिक था। हालांकि, जांच अवधि के दौरान आयात मूल्य में तेजी से गिरावट आई और यह बिक्री लागत से कम है।
- xii. जबकि आवेदकों ने लाभ पर ग्लूफोसिनेट को फॉर्मूलेशन के रूप में बेचा, इससे उनके बाजार हिस्से पर असर पड़ा और आवेदकों को उत्पादन निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि आवेदकों ने उत्पादन और बिक्री जारी रखी होती, तो उन्हें आयात कीमतों से मेल खाने वाली कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता।
- xiii. जो फार्मूलेर्स आयातित तकनीक पर निर्भर थे, उन्हें कम कीमत वाली सामग्री तक पहुंच मिली, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो गई और परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में कम कीमत वाले फार्मूले उपलब्ध हो गए।
- xiv. घरेलू और निर्यात बाजार में उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए आवेदकों ने 2021-22 में क्षमता बढ़ाई है। आवेदकों की क्षमता देश में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- xv. आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
- xvi. जांच अवधि में आवेदकों के उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है। यह गिरावट घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात बिक्री में भी गिरावट के कारण है।
- xvii. उत्पाद की घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि में आयात का बाजार हिस्सा [*** % से *** %] तक बढ़ गया है।
- xviii. संबद्ध देश से आयात में वृद्धि के कारण आवेदकों के पास उपलब्ध माल में तेजी से वृद्धि हुई है तथा यह इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि आवेदकों को अपना उत्पादन स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
- xix. संयंत्र के निलंबन के समय, आवेदकों के पास रुपये [*** करोड़] की तकनीकी और रुपये [*** करोड़] के फॉर्मूलेशन का भंडार था।

- xx. यूपीएल समूह ने इस व्यवसाय में लगभग [₹***] करोड़ का निवेश किया है। बिक्री की मात्रा में गिरावट ने उत्पाद से अर्जित सकल लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- xxi. जांच अवधि के दौरान, कम कीमत वाले आयातों के प्रवाह के कारण आवेदकों की घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई। परिणामस्वरूप, व्याज से पहले का मुनाफा और नकद मुनाफा घटकर आधा रह गया। मुनाफे में इस भारी गिरावट ने आवेदकों के व्यवसाय संचालन को काफी प्रभावित किया है।
- xxii. आवेदक अपने प्लांट में 500 से ज़्यादा स्थायी लोगों को रोज़गार देते हैं। इसके अलावा, आवेदकों के पास संविदा कर्मचारी भी हैं। चूंकि आवेदकों के प्लांट अक्टूबर 2023 से बंद कर दिए गए हैं, इसलिए इससे रोज़गार पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
- xxiii. जांच अवधि के दौरान आवेदकों के वितरकों द्वारा लगभग [***] करोड़ रुपये मूल्य का लगभग [***] मीट्रिक टन फार्मूलेशन वापस लौटा दिया गया।
- xxiv. जांच अवधि में आयात में 1000% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो आयात में आगे भी वृद्धि का स्पष्ट खतरा दर्शाती है।
- xxv. चीनी उत्पादकों की मासिक क्षमता लगभग 12000 मीट्रिक टन है और कुल क्षमता लगभग 150000 मीट्रिक टन है। चीनी उत्पादकों की क्षमता घरेलू मांग से काफी अधिक है जिसका उपयोग निर्यात के लिए किया जाएगा।
- xxvi. अन्य इच्छुक पक्षों के इस कथन के संबंध में कि उत्पादन और बिक्री में गिरावट मांग में कमी के कारण है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि मांग में कमी सभी आपूर्तिकर्ताओं, घरेलू और विदेशी दोनों पर समान रूप से लागू होती है। यह भी कहा गया है कि मांग में कमी के बावजूद संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है।
- xxvii. जहां तक शुद्ध अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि का प्रश्न है, आवेदक कई इनपुटों का उपयोग कैप्टिव रूप से करते हैं, तथा जैसे-जैसे उत्पादन में वृद्धि हुई है, इन कैप्टिव इनपुटों के लिए परिसंपत्तियों की तैनाती में भी वृद्धि हुई है।
- xxviii. जहां तक इस बात का सवाल है कि 2022-23 असामान्य था, 2022-23 में कोई असामान्य परिस्थिति नहीं थी। जांच की अवधि के दौरान आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में तेजी से गिरावट आई। तथ्य यह है कि आयात में उछाल से पहले आवेदकों का प्रदर्शन स्थिर रहा और उसके बाद तेजी से खराब हुआ, यह दर्शाता है कि नुकसान सीधे तौर पर चीन से डंप किए गए आयातों के कारण हुआ था।
- xxix. जहां तक नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न का सवाल है, प्राधिकरण और न्यायाधिकरण ने यह विचार किया है कि जब तक अन्य इच्छुक पक्ष भिन्न रिटर्न पर विचार करने की आवश्यकता प्रदर्शित नहीं करते, तब तक गैर-क्षतिकारी मूल्य के निर्धारण के लिए 22% की अनुमति दी जाएगी।
- xxx. जहाँ तक फॉर्मूलेशन को शामिल करने के औचित्य का सवाल है, इसे क्षति विश्लेषण में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि तकनीकी फॉर्म की डंपिंग ने शुरू में फॉर्मूलेशन की बिक्री को नुकसान पहुँचाया है। फॉर्मूलेशन को होने वाली क्षति ने तकनीकी बिक्री को सीधे प्रभावित किया है, क्योंकि तकनीकी आयात को बेचे जाने से पहले फॉर्मूलेशन में बदल दिया जाता है।

छ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

54. नियमों के नियम 11 को उसके अनुलग्नक-11 के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "... सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल हैं।" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में उल्लेखनीय कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक कम करना या कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा उल्लेखनीय सीमा तक हो सकती थी। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटने की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार विचार किया गया है।
55. आवेदकों ने उत्पाद के तकनीकी और निर्माण दोनों रूपों पर अलग-अलग जानकारी प्रदान की है। निर्माण के लिए मात्रा तकनीकी मात्रा के समतुल्य स्तर पर प्रदान की गई है (***) के रूपांतरण कारक का उपयोग करके। प्राधिकरण ने तकनीकी रूप के संबंध में उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विचार किया है क्योंकि प्राथमिक उत्पादन गतिविधि

तकनीकी के उत्पादन में है, और तकनीकी का निर्माण में प्रसंस्करण एक मात्र वृद्धिशील उत्पादन प्रक्रिया है। चूंकि आवेदकों ने घरेलू बाजार में केवल निर्माण रूप बेचा है, इसलिए घरेलू बिक्री और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की गणना उत्पाद के निर्माण रूप पर विचार करके की गई है। चूंकि उत्पाद के तकनीकी रूप का उपयोग निर्माण रूप के उत्पादन के लिए किया गया है, इसलिए इस प्रकार विचार किए गए निर्माण की बिक्री की लागत में ग्लूफोसिनेट तकनीकी की लागत भी शामिल है। दोनों उत्पादों पर विचार करके लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर से पहले लाभ, निवेश पर वापसी और सूची पर विचार किया गया है। मूल्य कटौती का निर्धारण नीचे प्रासंगिक भाग में बताए अनुसार किया गया है। मूल्य दमन/अवसादन का पता लगाने के लिए तकनीकी से संबंधित डेटा पर विचार किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, तकनीकी को फॉर्मूलेशन में या फॉर्मूलेशन को तकनीकी में परिवर्तित करने के लिए [***] के रूपांतरण कारक का उपयोग किया गया है।

56. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा गैर-क्षतिग्रस्त मूल्य के निर्धारण के लिए 22% के रिटर्न पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किए गए निवेदन के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि इस संबंध में प्रासंगिक दिशानिर्देश एंटी-डंपिंग नियमों के अनुलग्नक III के तहत अच्छी तरह से निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकरण ने लगातार नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न की अनुमति दी है और वर्तमान जांच में भी इसे अपनाया गया है।

क. मांग/प्रकट खपत का आकलन

57. प्राधिकरण ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण आवेदकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है। विचाराधीन उत्पाद में तकनीकी और निर्माण दोनों शामिल हैं। निर्माण के अन्य आपूर्तिकर्ता आयातित तकनीकी से निर्माण का उत्पादन कर रहे हैं। यदि इन संस्थाओं के निर्माण की बिक्री को शामिल किया जाता है, तो इससे दोहरा लेखा-जोखा हो जाएगा। उचित तुलना को सक्षम करने के लिए, घरेलू उद्योग की तकनीकी बिक्री (निर्माण से रूपांतरण के बाद) और आयातकों के तकनीकी आयात को मांग गणना में शामिल किया गया है। निर्माण के लिए मात्रा को तकनीकी के लिए समतुल्य स्तर पर माना गया है।

एस.एन.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी – दिसंबर 23
1	घरेलू उद्योग की बिक्री (फॉर्मूलेशन की बिक्री को तकनीकी में परिवर्तित कर दिया गया है)	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका	100	103	147	76
2	चीन पीआर से आयात (तकनीकी)	मीट्रिक टन	590	266	931	1,296
3	अन्य देशों से आयात (फॉर्मूलेशन की बिक्री को तकनीकी में परिवर्तित कर दिया गया है)	मीट्रिक टन	100	53	-	-
4	कुल मांग (तकनीकी)	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका	100	77	141	127

58. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग 2021-22 में घटी, उसके बाद वर्ष 2022-23 में बढ़ी और जांच अवधि में मामूली गिरावट आई। क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि मांग में अनियमित प्रवृत्ति दिखाई देती है क्योंकि पिछली अवधि में निर्यात के लिए एसईजेड इकाई द्वारा आयात किए गए थे और यदि इसे छोड़ दिया जाए, तो मांग में लगातार वृद्धि दिखाई देगी।

ख. डंप किए गए आयात का मात्रा प्रभाव

59. डंप किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकरण को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या डंप किए गए आयातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, चाहे वह निरपेक्ष रूप से हो या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष। क्षति

विक्षेपण के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है। फॉर्मेशन के लिए मात्रा को तकनीकी समकक्ष के स्तर पर माना गया है: -

एस.एन	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी - दिसंबर 23
1	चीन जन.स. से तकनीकी फॉर्म का आयात	मीट्रिक टन	590	266	931	1,296
बी	निम्नलिखित के संबंध में विषयगत देश का आयात: -					
1	तकनीकी का भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका	100	36	120	246
2	ग्लूफोसिनेट का सेवन	%	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका	100	58	112	173
3	तकनीकी का कुल आयात	%	86%	83%	100%	100%

60. यह देखा गया है कि 2021-22 में आयात की मात्रा में गिरावट आई, 2022-23 और जांच की अवधि दोनों में तेजी से वृद्धि हुई। भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में भी आयात में वृद्धि हुई है। उत्पादन के संबंध में आयात पिछले वर्ष के ***% से बढ़कर जांच अवधि में ***% हो गया है, और खपत के संबंध में ***% से बढ़कर ***% हो गया है। उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में भी चोट अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. डंप किए गए आयात का मूल्य प्रभाव


61. कीमतों पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विक्षेपण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से होता। इसके अलावा, प्राधिकरण को मूल्य दमन/अवसादन प्रभावों, यदि कोई हो, की जांच करके घरेलू उद्योग की कीमतों पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है।

i. मूल्य का विकास

62. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के तकनीकी रूप के आयात मूल्यों, तकनीकी एवं कच्चे माल की लागत तथा बिक्री लागत की प्रवृत्ति की जांच की है, जिसे नीचे दर्शाया गया है।

एस.एन.	विशिष्ट	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी - दिसंबर 23
1	आयात मूल्य (तकनीकी)	₹/किलोग्राम	***	***	***	***
2	रुझान	इंडेक्स किए गए	100	103	141	64
3	बिक्री की लागत (तकनीकी)	₹/किलोग्राम	***	***	***	***
4	रुझान	इंडेक्स किए गए	100	131	149	127
5	कच्चे माल की लागत (तकनीकी)	₹/किलोग्राम	***	***	***	***
6	रुझान	इंडेक्स किए गए	100	147	175	134

63. यह देखा गया है कि चीन से आयात मूल्य और बिक्री की लागत दोनों में 2022-23 तक वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में, कच्चे माल की लागत में गिरावट के कारण बिक्री की लागत में कमी आई। हालांकि, बिक्री की लागत में 22 सूचकांक अंकों की गिरावट आई, जबकि आयात मूल्य में 76 सूचकांक अंकों की गिरावट आई। आयात मूल्य में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से कहीं अधिक है। यह भी देखा गया है कि आयात मूल्य में गिरावट के साथ, आयात की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।



64. यह भी ध्यान देने योग्य है कि आयातित तकनीकी उपकरणों की कीमत जांच अवधि से पहले घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक थी। हालांकि, यह जांच अवधि में बिक्री लागत से काफी कम है।

ii. मूल्य में कटौती

65. प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में पीसीएन पद्धति को परिभाषित किया है। ग्लूफोसिनेट तकनीकी और फॉर्मूलेशन को अलग-अलग पीसीएन दिया गया है। इसलिए, मूल्य कटौती का निर्धारण पीसीएन के अनुसार किया जाना आवश्यक है। जिस उत्पाद का आयात विषय देश से किया गया है, वह ग्लूफोसिनेट तकनीकी है। घरेलू उद्योग ने समूह के भीतर ही अपनी संबद्ध संस्थाओं को ग्लूफोसिनेट तकनीकी बेची है। घरेलू बाजार में केवल ग्लूफोसिनेट फॉर्मूलेशन ही बेचा गया है। इसलिए, दो वैकल्पिक पद्धतियों का उपयोग करके मूल्य कटौती की जांच की गई है -

- ग्लूफोसिनेट तकनीकी के आयात मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग द्वारा तकनीकी के समायोजित विक्रय मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा फॉर्मूलेशन के विक्रय मूल्य को तकनीकी और फॉर्मूलेशन के बीच होने वाली लागतों के लिए समायोजित किया गया है;
- आयातकों (जिन्होंने तकनीकी आयात किया और फॉर्मूलेशन बेचा) द्वारा फॉर्मूलेशन के विक्रय मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के फॉर्मूलेशन के विक्रय मूल्य से की गई। इस उद्देश्य के लिए सहयोगी आयातकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया का उपयोग किया गया है और उनके विक्रय मूल्य को घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के साथ तुलना करने के लिए विचार किया गया है।

66. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग के फॉर्मूलेशन के विक्रय मूल्य पर विचार करते हुए तथा तकनीकी को फॉर्मूलेशन में परिवर्तित करने में होने वाली लागत के साथ समायोजित करके मूल्य में कटौती को दर्शाती है। यह देखा गया है कि मूल्य में कटौती काफी अधिक है।

एस.एन.	विवरण	यूओएम	जनवरी-दिसंबर 23
1	फॉर्मूलेशन का शुद्ध विक्रय मूल्य	₹/किलोग्राम	***
2	तकनीकी से लेकर निर्माण तक में होने वाली लागत	₹/किलोग्राम	***

3	तकनीकी का निर्मित विक्रय मूल्य	₹/किलोग्राम	***
4	तकनीकी का उतरा मूल्य	₹/किलोग्राम	1,002
5	मूल्य में कटौती	₹/किलोग्राम	***
6		%	***
7		%	150-200%

67. नीचे दी गई तालिका में तकनीकी फॉर्मूलेशन का आयात करने वाले आयातकों द्वारा फॉर्मूलेशन के विक्रय मूल्य, तथा घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले फॉर्मूलेशन के लिए घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य कटौती को दर्शाया गया है।

एस.एन.	विवरण	यूओएम	जनवरी-दिसंबर 23
1	घरेलू उद्योग फॉर्मूलेशन का विक्रय मूल्य	₹/किलोग्राम	***
2	आयातकों के फॉर्मूलेशन का विक्रय मूल्य	₹/किलोग्राम	***
3	मूल्य में कटौती	₹/किलोग्राम	***
4		%	***
5		%	10-20%

68. यह देखा गया है कि आयातकों ने उत्पाद को घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी कम कीमतों पर बेचा है।

iii. मूल्य दमन/अवसादन

69. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और फॉर्मूलेशन के विक्रय मूल्य को दर्शाती है।

एस.एन.	विशिष्ट	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी-दिसंबर 23
1	फॉर्मूलेशन का विक्रय मूल्य	₹/किलोग्राम	***	***	***	***
2	रुझान	इंडेक्स किए गए	100	124	160	155
3	फॉर्मूलेशन की बिक्री की लागत	₹/किलोग्राम	***	***	***	***
4	रुझान	इंडेक्स किए गए	100	128	140	167

70. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग 2022-23 तक अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम है। जांच की अवधि में बिक्री कीमतों में गिरावट आई है, जबकि बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है। हालांकि यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग लगातार लाभ में बना हुआ है। हालांकि, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने बाजार की प्रकृति पर विचार करते हुए आयात के जवाब में अपनी कीमतों को समायोजित नहीं किया है, लेकिन घरेलू और आयातित उत्पाद की कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बिक्री और बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

71. नीचे दी गई तालिका में घरेलू उद्योग के ग्लूफोसिनेट तकनीकी के आयात मूल्य और ग्लूफोसिनेट तकनीकी की बिक्री की लागत को दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि जहां क्षति अवधि के दौरान तकनीकी की बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है, वहीं तकनीकी के आयात मूल्य में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है, और पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक गिरावट आई है।

एस.एन.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी- दिसंबर 23
1	तकनीकी की बिक्री की लागत	₹/किलोग्राम	932	***	***	***
2	रुझान	अनुक्रमणिका	100	131	149	127
3	चीन से आयात मूल्य तकनीकी पीआर	₹/किलोग्राम	1,401	1,441	1,972	903

घ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

72. प्राधिकरण ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है। चूंकि उत्पाद का उत्पादन पहले तकनीकी रूप में किया जाता है, इसलिए तकनीकी रूप के लिए क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विचार किया गया है। घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पाद (फॉर्मूलेशन - तकनीकी के समतुल्य) के लिए घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है।

एस.एन.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी- दिसंबर 23
1	तकनीकी क्षमता	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	119	119	124
2	तकनीकी उत्पादन	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	125	132	89
3	तकनीकी क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	105	111	96
4	घरेलू उद्योग की बिक्री तकनीकी (फॉर्मूलेशन की बिक्री को तकनीकी में परिवर्तित कर दिया गया है)	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	103	147	76
5	निर्यात बिक्री तकनीकी	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	108	97	84
6	निर्यात बिक्री फॉर्मूलेशन (फॉर्मूलेशन की बिक्री को तकनीकी में परिवर्तित कर दिया गया है)	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	148	190	118

73. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने 2021-22 में और फिर जांच की अवधि में अपनी क्षमता का विस्तार किया। यह कहा गया है कि घरेलू और वैश्विक बाजार में उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए क्षमता विस्तार किया गया था। घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा वैश्विक बाजार में निर्यात करता है।

74. घरेलू उद्योग का उत्पादन 2022-23 तक लगातार बढ़ता रहा, लेकिन जांच अवधि के दौरान इसमें तेज गिरावट आई। यह गिरावट घरेलू और निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण है। घरेलू उद्योग को उत्पादन निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और संयंत्र को अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया।
75. उत्पाद के लिए क्षमता उपयोग 2022-23 तक बढ़ा, लेकिन जांच अवधि में इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई। आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और यह क्षति अवधि के दौरान जांच अवधि में सबसे कम है।
76. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री 2022-23 तक बढ़ी, लेकिन जांच अवधि में इसमें तेजी से गिरावट आई। पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में बिक्री में तेजी से गिरावट आई है।

ii. बाजार में हिस्सेदारी

77. विभिन्न संस्थाओं की बाजार हिस्सेदारी की जानकारी नीचे दी गई है: -

एस.एन .	विशिष्ट	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी-दिसंबर 23
1	घरेलू उद्योग (तकनीकी के समतुल्य फॉर्मेशन)	%	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	134	104	60
2	विषय देश (तकनीकी)	%	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	58	112	173
3	अन्य देश (तकनीकी)	%	***	***	***	***
	रुझान	अनुक्रमणिका का	100	69	-	-

78. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 में बढ़ी, 2022-23 में घटी और फिर जांच की अवधि में तेजी से घटी। यह कहा गया है कि, चीनी आयातों की बाजार हिस्सेदारी घरेलू उद्योग द्वारा फॉर्मेशन के निर्यात के लिए किए गए आयात का प्रतिनिधित्व करती है। यदि इन आयातों को छोड़ दिया जाए, तो 2020-21 और 2021-22 में आयातों का कोई बाजार नहीं था। आयात 2022-23 में शुरू हुआ और जांच की अवधि में उनका हिस्सा बढ़ गया।

iii. सूची

79. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास स्टॉक की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

एस.एन .	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी-दिसंबर 23
1	प्रारंभिक स्टॉक (तकनीकी और निर्माण)	मीट्रिक टन	***	***	***	***
2	समापन स्टॉक (तकनीकी और निर्माण)	मीट्रिक टन	***	***	***	***
3	औसत स्टॉक (तकनीकी और निर्माण)	मीट्रिक टन	***	***	***	***

	रुझान	अनुक्रमणिका	100	86	120	243
--	-------	-------------	-----	----	-----	-----

80. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के पास मौजूद माल में तेजी से वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उनके पास केवल तकनीकी के लिए [***] करोड़ रुपये और फार्मूलेशन के लिए [***] करोड़ रुपये का माल था और उच्च माल के मद्देनजर उन्हें उत्पादन निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को बाजार से लगभग [***] करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री की वापसी का सामना करना पड़ा।

iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

81. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में की गई है। चूंकि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में फार्मूलेशन की बिक्री की है और घरेलू प्रचालनों के लिए क्षति विश्लेषण पर विचार किया जाना अपेक्षित है, इसलिए प्राधिकारी ने फार्मूलेशनके लिए नीचे दिए गए आंकड़ों पर विचार किया है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी-दिसंबर 23
1	कर पूर्व लाभ (फार्मूलेशन)	₹ लाख	7,483	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	120	283	102
2	पीबीआईटी (फार्मूलेशन)	₹ लाख	7,902	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	120	281	103
3	नकद लाभ (फार्मूलेशन)	₹ लाख	7,546	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	120	283	102
4	आरओआई (फार्मूलेशन)	%	25%	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	79	182	88

82. यह देखा गया है कि वर्ष 2022-23 तक कर-पूर्व लाभ में वृद्धि हुई है। हालांकि, बिक्री की मात्रा में गिरावट के साथ, जांच की अवधि में कर-पूर्व लाभ में विगत वर्ष की तुलना में 64% की भारी गिरावट आई है।
83. विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लाभ में उल्लेखनीय गिरावट के कारण नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) में महत्वपूर्ण गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में नकद लाभ और पीबीआईटी दोनों में तीव्र गिरावट आई है।
84. यह देखा गया है कि जांच अवधि में बिक्री में भारी गिरावट के कारण लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में भी भारी गिरावट आई।
85. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने लाभदायक कीमतों को बनाए रखने के लिए बाजार हिस्सेदारी का त्याग करने का विकल्प चुना है। हालांकि, बिक्री की मात्रा में गिरावट के साथ, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कर पूर्व लाभ में बहुत तेजी से गिरावट आई है।
86. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने व्यवसाय में लगभग [***] करोड़ रुपये का निवेश किया है और लाभ में इतनी भारी गिरावट से उनके परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

87. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी-दिसंबर 23
1	कर्मचारियों की संख्या (तकनीकी और फार्मूलेशन)	संख्या.	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	107	112	105
2	प्रति दिन उत्पादकता (तकनीकी)	संख्या.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	132	120

88. वर्ष 2022-23 तक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई, क्योंकि घरेलू उद्योग को उत्पादन स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भुगतान की गई मजदूरी में भी वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। उत्पादन के स्थगित होने के कारण, विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपने संयंत्र में 500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया है। उपरोक्त रोजगार केवल तकनीकी और फार्मूलेशन उत्पादन संयंत्रों में समर्पित रोजगार है और इसमें फार्मूलेशनबिक्री संचालन में रोजगार शामिल नहीं है।

vi. वृद्धि

89. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री की मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्रम.सं	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	जनवरी-दिसंबर 23
1	क्षमता	%	19%	0%	4%
2	उत्पादन	%	25%	6%	-32%
3	घरेलू बिक्री	%	3%	42%	-48%
4	बाजार में हिस्सेदारी	%	5%	-1%	-44%
5	प्रति इकाई लाभ	%	16%	66%	-30%
6	लाभ लाख रुपये में	%	20%	135%	-64%
7	पीबीआईटी	%	20%	134%	-63%
8	नकद लाभ	%	20%	135%	-64%
9	आरओसीई	%	-21%	129%	-52%

90. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में मात्रा और मूल्य मापदंडों में गंभीर रूप से नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। उत्पादन में वृद्धि, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, कर पूर्व लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, सभी जांच की अवधि में इस अवधि में आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ नकारात्मक थे।

vii. पाटन का परिमाण

91. पाटन की मात्रा इस बात का सूचक है कि आयातित वस्तुओं को भारत में किस सीमा तक पाटित किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि जांच अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

92. भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर मात्रा और मूल्य खातों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो कि संबद्ध देश से पाटित किए गए आयात के कारण था। मात्रा और

मूल्य दोनों मानदंडों में गिरावट के कारण उत्पादन को स्थगित करने के कारण घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

93. यह देखा गया है कि आयात मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अत्यधिक कम है। इसके अतिरिक्त, आयातकों द्वारा बिक्री किए जाने वाले फार्मूलेशन की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री किए जाने वाले के बिक्री कीमत से अत्यधिक कम है। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पाद की कीमतों के प्रत्युत्तर में अपनी कीमतों में कमी नहीं की है। घरेलू बिक्री में गिरावट इतनी महत्वपूर्ण रही है कि घरेलू उद्योग को उत्पादन स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

ड भौतिक क्षति का जोखिम

94. प्राधिकारी ने नियमों के अनुलग्नक II के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली वास्तविक क्षति के जोखिम की भी जांच की है। चूंकि जांच के बाद की अवधि में न्यूनतम आयात कीमत लागू थी, इसलिए जांच के बाद की अवधि के निष्पादन की जांच नहीं की गई है।

i. पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर:

95. नीचे दी गई तालिका जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात को दर्शाती है।

क्रम.सं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी- दिसंबर 23
1	चीन से सकल आयात (तकनीकी)	मीट्रिक टन	590	266	931	1,296
2	निर्यात के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात को छोड़कर मांग (तकनीकी +तकनीकी के समतुल्य फार्मूलेशन)	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	140	137
3	निर्यात के लिए आयात को छोड़कर आयात (तकनीकी)	मीट्रिक टन	0	0	86	636

96. यह देखा गया है कि चीन से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयात में 600% से अधिक की वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि की मात्रा बहुत अधिक है, जिससे आयात में और वृद्धि होने का स्पष्ट जोखिम है।

ii. निर्यातकों की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि

97. प्राधिकारी ने भाग लेने वाले उत्पादकों की प्रतिक्रिया की जांच की है, और यह देखा गया है कि भाग लेने वाले उत्पादकों ने अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया है। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन में कुल डिज़ाइन की गई क्षमता 1.5 लाख मीट्रिक टन है जो चीन में घरेलू मांग से कहीं अधिक है। भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग 1500 मीट्रिक टन से 2000 मीट्रिक टन के बीच है और चीन में मौजूद विशाल क्षमताओं की तुलना में यह बहुत कम है।

- iii. आयात ऐसी कीमतों पर हो रहा है जिसका काफी निराशाजनक या दमनकारी प्रभाव होगा
98. नीचे दी गई तालिका संगत जानकारी दर्शाती है।

क्रम. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जनवरी-दिसंबर 23
1	बिक्री की लागत (तकनीकी)	रुपये/किग्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध किए गए	100	131	149	127
2	चीन जन.गण से आयात मूल्य (तकनीकी)	रुपये/किग्रा	1,401	1,441	1,972	903

99. यह देखा गया है कि जांच की अवधि से पहले, चीन से आयात मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से अधिक था। हालांकि, जांच की अवधि में आयात कीमतों में तेजी से गिरावट आई, और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत कम हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के अंत में आयात मूल्य 903 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक गिर गया। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद अन्य देशों को ग्लूफोसिनेट के निर्यात मूल्य की सूचना भी उपलब्ध कराई है। यह देखा गया है कि चीन से अन्य देशों को निर्यात मूल्य में और गिरावट आई है। इसलिए, आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण ह्रास/न्यूनीकरण प्रभाव पड़ने की संभावना है। घरेलू उद्योग को एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए उत्पादन स्थगित करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा और उसे [***] करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सामग्री की वापसी का सामना करना पड़ा। यदि घरेलू उद्योग उत्पादन जारी रखता, तो उसे उत्पाद को बिक्री की लागत से कम कीमतों पर बेचना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय क्षति होता।

iv. चीनी उत्पादकों के वस्तुओं की सूची की जांच की जा रही है

100. इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इसकी जांच नहीं की जा सकती।

च. क्षति का निष्कर्ष

101. उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है:

- संबद्ध आयातों को भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश मिला है।
- जांच अवधि में चीन से आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। आयात में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से वृद्धि हुई है।
- देश में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद आयात में वृद्धि हुई।
- वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में घरेलू खपत के लिए संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ। आयात वर्ष 2022-23 में आरंभ हुआ और जांच अवधि में इसमें तेजी से वृद्धि हुई है।
- आयातित उत्पाद द्वारा कीमत में कटौती सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है।
- चीन से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है।
- कम कीमत पर तकनीकी उपलब्ध होने से फार्मूले बनाने वालों को ग्लूफोसिनेट फार्मूलेशन कम कीमत पर विक्रय करने की सुविधा मिल गई है। इससे घरेलू उद्योग की बिक्री पर प्रभाव पड़ा है।
- आयातित उत्पाद ने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ले लिया है। चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में बिक्री करने में असमर्थ था, इसलिए उसके पास अत्यधिक मात्रा में निष्क्रिय माल रखा हुआ था और उसे बहुत समय तक उत्पादन स्थगित करना पड़ा।
- घरेलू उद्योग को उत्पादन स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जांच अवधि के पश्चात घरेलू उद्योग के संयंत्र को 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है।

- xi. आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि और परिणामस्वरूप बिक्री मात्रा में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग को जांच अवधि में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में अत्यधिक गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- xii. घरेलू उद्योग को जांच अवधि में सभी मात्रा और मूल्य मापदंडों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा है।
- xiii. आयात ऐसी कीमतों पर हो रहा है जिससे घरेलू उद्योग को और अधिक हानि पहुंचने की संभावना है।
- xiv. चीन के उत्पादकों ने अपनी क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार किया है और वे अपने उत्पाद भारतीय बाजार में ला सकते हैं।
- xv. आयात में वृद्धि बहुत अधिक थी, जिससे पाटन-रोधी शुल्क के अभाव में आयात में वृद्धि का स्पष्ट जोखिम दर्शाता है।
- xvi. कीमत में कटौती बहुत अधिक है और इसके परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि होने की संभावना है तथा बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर बाध्यकारी/निराशाजनक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ज. आकस्मिक कारक और गैर-आरोपण विश्लेषण

102. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त किसी भी ज्ञात कारक की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संबंध में प्रासंगिक हो सकने वाले कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे जाने वाले आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी या खपत के पैटर्न में बदलाव, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध कारकों का घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान हो सकता है।

i. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

103. चीन जन.गण के अतिरिक्त, यूरोपीय संघ से भी आयात होता है। हालांकि, ये आयात फॉर्मूलेशन के होते हैं और बहुत अधिक कीमत पर होते हैं। इसलिए, अन्य देशों से आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

ii. मांग में कमी

104. यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में कमी के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

iii. खपत की पद्धति में परिवर्तन

105. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई ज्ञात भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

iv. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

106. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। इसलिए, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

v. प्रौद्योगिकी विकास

107. प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

vi. निर्यात निष्पादन

108. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू परिचालन के क्षति आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं है।

vii. अन्य उत्पादों का निष्पादन

109. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विक्रय किए गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ. कारणात्मक संबंध पर प्राधिकारी का आकलन

110. यह देखा गया है कि ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा पहुंचाई गई है, जैसा कि नीचे स्थापित किया गया है।

- संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर किए गए हैं।
- आयात कीमतों के निम्न होने के कारण, वर्ष 2022-23 में आयात मात्राओं ने घरेलू बाजार में प्रवेश करना आरंभ कर दिया और जांच की अवधि में इस में उल्लेखनीय रूप से उफान आया।
- चूंकि, चीन से आयातों में वृद्धि हुई है, इन आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जहां आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- चूंकि, आयातों में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग ने अपनी घरेलू विक्रियों में गहरी गिरावट का सामना किया है और पहले ही बेचे गए माल के वापिस होने की स्थिति का सामना करना पड़ा।
- चूंकि, घरेलू उद्योग ने विक्रियों को खोया है, इसे उत्पादन स्थगित करने के लिए विवश होना पड़ा। पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के अंत में तीन महीनों के लिए संयंत्रों को बंद करना पड़ा।
- संबद्ध देश से आयात कम कीमतों पर हैं, ये आवेदकों की लागत और कीमत से भी कम हैं।
- चूंकि जांच की अवधि में आयातों में उछाल आया था, घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ, नकद लाभ को खोना पड़ा और इसकी निवेश पर आय में गिरावट आई।

ञ. पाटन मार्जिन की मात्रा

111. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत को अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया है। क्षति रहित कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत के साथ क्षति रहित कीमत की तुलना की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और युटिलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभावित नहीं किया गया था। क्षति रहित कीमत पर पहुंचने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व @22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति प्रदान की गई थी। क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए इस प्रकार निर्धारित किए गए एनआईपी पर विचार किया गया है।

112. पहुंच कीमत और उपरोक्त अनुसार निर्धारित की गई एनआईपी के आधार पर उत्पादक/निर्यातक के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए क्षति मार्जिन को नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		यूएस डा./एमटी	यूएस डा./एमटी	यूएस डा./एमटी	%	%
1	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	20-30

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

113. भारतीय उद्योग के हितों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- ग्लूफोसिनेट पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि क्योंकि उत्पाद एक महत्वपूर्ण हर्बिसाइड (शाकनाशी) है। ग्लूफोसिनेट की लागतों में वृद्धि को संभवतः ग्राहकों पर

डाल दिया जाएगा जिससे कृषि उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होगी और कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक भार पड़ेगा।

- ii. संबद्ध वस्तु का किसानों द्वारा एक जरूरी वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूंकि मांग और आपूर्ति अंतर बहुत ज्यादा है, शुल्कों के किसी भी अतिरिक्त भार से बहुत बड़ी जनसंख्या पर बहुत महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, शुल्क सार्वजनिक हित में नहीं होंगे।
- iii. यदि शुल्कों को लागू किया जाता है तो क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन और कृषि रसायन जैसे प्रतिस्पर्धी, जिन्होंने आयातित तकनीकी ग्लूफोसिनेट का प्रयोग करते हुए हाल ही में फारमूलेशन्स का उत्पादन करना आरंभ किया है, अनुचित बाधाओं का सामना करेंगे। ऐसे उपाय घरेलू उत्पादकों से तकनीकी ग्लूफोसिनेट तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करेंगे, जो मुख्य रूप से कैप्टिव उपभोग पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

ट.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

114. आवेदकों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. ग्लूफोसिनेट पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से अंतिम फार्मूलेशन मूल्य में 900 रुपए कीमत की प्रति बोतल पर केवल 24 रुपए तक की वृद्धि होगी। एक एकड़ भूमि में पानी की एक बोतल प्रयोग की जाती है। इसलिए, अंत में किसान पर शुल्क का भार गैर-महत्वपूर्ण है।
- ii. तकनीकी और फार्मूलेशन ग्लूफोसिनेट की कीमत पहले और अधिक थी और हाल ही में इसमें गिरावट आई है। यदि वे उच्च कीमतें डाउनस्ट्रीम उद्योग को प्रभावित नहीं करती तो वर्तमान कीमतों का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।
- iii. आवेदक सामाजिक सहयोग करने के लिए लगभग 31 करोड़ रुपए वार्षिक रूप से आवंटित करते हैं जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्थायी आजीविका और प्रकृति का संरक्षण करना है जिससे लगभग 1.5 मिलियन लोगों को लाभ होता है। पहले से घटी हुई लाभप्रदता के साथ, यदि शुल्कों को लागू नहीं किया जाता तो यह इन सामाजिक पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
- iv. संबद्ध देश से उत्पादकों का ध्यान भारतीय बाजार या इसके ग्राहकों के दीर्घावधिक हित के बजाय अधिकतम राजस्व प्राप्त करने पर केन्द्रित है। यदि एक अधिक अन्य लाभप्रद बाजार उभरता है तो उनके द्वारा अपना ध्यान स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। इसके विपरीत, आवेदक, घरेलू उत्पादक के रूप में भारतीय ग्राहकों के हितों का समर्थन करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हैं।
- v. भारतीय बाजार में पाटित संबद्ध आयातों के आयात ने आवेदकों के निष्पादन में अत्यधिक हास किया है और आवेदकों को उल्लेखनीय क्षति पहुंचाई है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना यह सुनिश्चित करेगा कि आयात उचित कीमतों पर हो रहे हैं जो कि घरेलू उद्योग के हित में होगा।
- vi. कुल मिला कर यह जनता के हित में होगा कि उनके पास उत्पाद का एक सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन है।
- vii. पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए एक सुरक्षा नहीं है बल्कि देश में एक उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने के लिए एक उपचारात्मक उपकरण है। पाटनरोधी शुल्क को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा किसी भी व्यापार विकृति को समाप्त करके एक समान स्तर की स्पर्धा स्थापित करना और भारतीय उद्योग को उचित प्रतिस्पर्धा के लिए एक अवसर की अनुमति प्रदान करना है।
- viii. पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से तैयार उत्पाद की अंतिम कीमत में वृद्धि नहीं होगी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि शुल्क को लागू किए जाने से लागतों में वृद्धि होगी।
- ix. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई आर्थिक हित प्रभावली के बावजूद, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बिना किसी समर्थक साक्ष्य के केवल विवरण प्रस्तुत किए हैं जबकि घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया है और पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को उपलब्ध कराया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

115. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में होगा। यह निर्धारण विभिन्न पक्षकारों, जिन में घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादक और उपभोक्ता शामिल हैं, के हितों और रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर किए गए विचार पर आधारित है।

116. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिन में आयातक ग्राहकों और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी

उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर विनिमेयता, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, ऐसे कारक जो संभवतः पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के प्रति समायोजन को त्वरित करने के कार्य को विलंबित कर सकते हैं, पर सूचना की मांग की है।

117. प्राधिकारी ने नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंची क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके।
118. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता। उचित कीमतों पर आयातों का होना जारी रहेगा। पाटनरोधी शुल्क सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और आवेदकों के बीच समान स्तर पर अवसर को बनाए रखा जाता है।
119. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न तो कोई सूचना उपलब्ध कराई है और न ही अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क के प्रभाव के बारे में परिमात्रात्मक सूचना उपलब्ध कराई है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई परिगणना के आधार पर, यह देखा गया है कि अंतिम प्रयोक्ताओं पर अनुशंसित शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा, जैसाकि नीचे दी गई सारणी से साक्ष्य है:-

क्र.सं.	विवरण		मूल्य
1	जांच की अवधि के दौरान ग्लूफोसिनेट तकनीकी आयात कीमत	क	921
2	पाटनरोधी शुल्क (अनुमानित)	ख	20%
3	तकनीकी (क X ख) के लिए कीमत वृद्धि	ग	184
4	उपभोक्ता के लिए ग्लूफोसिनेट फार्मूलेशन बोतल की अंतिम कीमत – रुपए/लीटर (https://www.indiamart.com/proddetail/upl-sweep-power-glufosinate-ammonium-13-5-w-w-sl-2852750882533.html?pos=1&DualProdcaps)	घ	800
5	एक लीटर में ग्लूफोसिनेट संकेन्द्रण (विवरण)	ड.	13.5%
6	तैयार बोतल की संभावित कीमत वृद्धि (ग X ड.)	च	24

120. किसान आमतौर पर 100 लीटर पानी के साथ लगभग 400 मि.ली. उत्पाद मिश्रित करते हैं। तब इस 400 मि.ली. का एक एकड़ क्षेत्र पर छिड़काव किया जाता है। प्रति एकड़ उत्पाद की खपत प्रति लीटर पानी का 0.04% है।
121. यह तर्क दिया जाता है कि मांग और आपूर्ति का अंतर मौजूद है जो भारत में आयातों को अनिवार्य बनाता है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह देखा गया है कि देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद नहीं है। घरेलू उद्योग के पास देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है। घरेलू उद्योग न केवल देश में उत्पन्न मांग को पूरा कर रहा है बल्कि विभिन्न देशों को भी सक्रिय रूप से उत्पाद का निर्यात कर रहा है।

ठ. प्रकटन पश्चात किए गए अनुरोध

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

122. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

क. लियर ने प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें इनवायस शामिल हैं जो 96 एमटी की निर्यात मात्रा को सिद्ध करता है। लियर केमिकल इस बात से अनजान है कि क्यों डीजी सिस्टम आंकड़े 192 मी.टन की

रिपोर्ट करते हैं। यह रिपोर्टिंग त्रुटि है और प्राधिकारी से उनके उत्तर को खारिज करते हुए पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

- ख. नियोजित पूंजी पर आय को 22% पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- ग. आवेदन और लिखित अनुरोध, दोनों में, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रकटीकरण विवरण और आंकड़ों में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के बीच उल्लेखनीय विसंगति है।
- घ. ग्लूफोसिनेट एक महत्वपूर्ण कृषि हर्बिसाइड है और शुल्कों के परिणामस्वरूप हुई उच्च कीमतों से किसानों की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी; जो नकारात्मक रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को प्रभावित करेगा।
- ड. प्राधिकारी ने 28 अप्रैल, 1992 को आर्थिक सहायता और प्रतिकारी उत्पादों पर – शराब और अंगूर उत्पादों संबंधी समिति संबंधी पैनल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1992 की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया है जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि वाइन-ग्रेप उत्पादक और वाइनरीज एक पृथक-पृथक उद्योग हैं और इसलिए उन्हें समान उद्योग नहीं समझा जा सकता।
- च. प्राधिकारी ने इस संबंध में कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया है कि जब ग्लूफोसिनेट तकनीकी और ग्लूफोसिनेट फार्मूलेशन, दोनों तकनीकी साथ ही वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं तो उन्हें समान वस्तु कैसे समझा जा सकता है।
- छ. प्राधिकारी ने बाजार में व्यवहार्य विकल्पों की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग की बिक्रियों की हानि से संबंधित कोई विश्लेषण नहीं किया है।
- ज. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर पहुंचने के लिए पृथक क्षति रहित कीमत और सामान्य मूल्य को निर्धारित किया जाना चाहिए।
- झ. घरेलू उद्योग को क्षति स्वयं-प्रवृत्त हैं क्योंकि न्यूनतम आयात कीमत को लागू करने के बावजूद, घरेलू उद्योग एनआईपी कीमत से कम पर उत्पाद की बिक्री कर रहा है।
- ञ. यूपीएल एमआईपी से उल्लेखनीय रूप से कम कीमतों पर भारत से बाहर माल की बिक्री कर रहा है और इसलिए जांच की अवधि के दौरान कीमतें शुल्क संदर्भ के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

ठ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

123. आवेदकों ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

- क. प्रयोक्ताओं ने 30% मूल्यवर्द्धन का दावा किया है, क्योंकि उन्होंने उल्लेखनीय रूप से उच्च वृद्धिकारक लागतों को ध्यान में रखा है। उपभोक्ता द्वारा जोड़ी गई माल की लागत को उस उपभोक्ता द्वारा मूल्यवर्द्धन को निर्धारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- ख. प्राधिकारी द्वारा असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्धारित किए गए पाटन और क्षति मार्जिन उस उत्पादक द्वारा निर्धारित किए गए मार्जिनों से निम्न हैं जिसने भाग लिया है। नियमावली के नियम 6(8) में प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह निवल निर्यात कीमत को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करे किन्तु प्रयत्न उन्हें प्रतिभागी उत्पादकों से प्राप्त आंकड़ों पर विचार करने से नहीं रोकता है, चाहे वह अस्वीकृत ही क्यों न हो।
- ग. जांच के पश्चात की अवधि में, चीन से विभिन्न देशों को आयात की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। जहां न्यूनतम आयात कीमत को लागू करने के कारण भारतीय बाजार के लिए कीमतों में गिरावट नहीं आई थी, वहीं चीन से निर्यात कीमतें 6.38 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. के निम्न स्तर पर पहुंच गई थीं।
- घ. चीनी विनिर्माताओं द्वारा की गई कीमत कटौती को देखते हुए, आवेदकों ने शुल्क के बैंचमार्क फार्म का अनुरोध किया है। यह बैंचमार्क जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पर आधारित होना चाहिए जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- ड. शुल्क की छोटी अवधि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हुई उल्लेखनीय क्षति से उभरने की अनुमति नहीं देगी।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

124. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह अवलोकन किया गया कि किए गए इन अनुरोधों में से अधिकतर पहले किए गए तर्कों और विवादों की पुनरावृत्ति मात्र हैं जिनकी पहले जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक पैराग्राफों में अनिवार्य समझी जाने वाली सीमा तक जिनका उल्लेख किया जा चुका है। तथापि, प्रकटीकरण पश्चात किए गए अनुरोधों में पहली बार उठाए

गए किन्हीं नए मुद्दों, साथ ही जिन मुद्दों का पहले उल्लेख किया जा चुका है किन्तु जिनकी और अधिक जांच किया जाना अनिवार्य समझा गया है, का यहां नीचे उल्लेख किया गया है।

125. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विसंगतियां हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी किसी विसंगति को सामने नहीं लगाया गया है। इसके अलावा, प्रकटीकरण विवरण में दिया गया डेटा सत्यापित किया गया डेटा है।
126. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में कि घरेलू विक्रियों की हानि घरेलू बाजार में अन्य प्रतिस्थापनीय उत्पाद की उपलब्धता के कारण हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू विक्रियों में गिरावट आई है। प्रकटीकरण विवरण में पहले ही इस बात की जांच की गई है कि उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं है।
127. ग्लुफोसिनेट तकनीकी और फार्मुलेशन के लिए विभिन्न क्षति रहित कीमत और सामान्य मूल्य के परिकलन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों प्रकार विचाराधीन उत्पाद के भीतर दो पृथक पीसीएन हैं। चूंकि, जांच की अवधि में उत्पाद के फार्मुलेशन स्वरूप का आयात नहीं किया गया है, क्षति रहित कीमत और सामान्य मूल्य को निर्धारित करना अनावश्यक था हालांकि घरेलू उद्योग ने सारी संगत जानकारी उपलब्ध कराई है। फार्मुलेशन स्वरूप के लिए सामान्य मूल्य और एनआईपी को निर्धारित किया जाना निष्फल है जबकि इस स्वरूप का जांच की अवधि में कोई आयात नहीं किया गया था। न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत भी यह मांग करते हैं कि ऐसे उत्पाद प्रकार के लिए पृथक क्षति रहित कीमत और सामान्य मूल्य निर्धारित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसका भारत में आयात नहीं किया गया है।
128. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क को लागू किए जाने से डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों ने प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा, जांच यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने का प्रभाव महत्वहीन होगा।
129. जहां तक आवेदकों द्वारा मूल्यवर्धन पर अनुरोध किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के दो स्वरूपों पर समान स्वरूप में विचार किए जाने के लिए मूल्यवर्धन एकमात्र मापदंड नहीं है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में तकनीकी और फार्मुलेशन स्वरूप को शामिल करने के लिए पर्याप्त औचित्य पाया है।

ड. निष्कर्ष

130. प्राधिकारी के समक्ष उठाए गए विवादों, उपलब्ध कराई गई सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उपलब्ध कराए गए तथ्यों के संबंध में, जैसा कि उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकार्ड किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंधों के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष देते हैं:-
 - क. विचाराधीन उत्पाद ग्लुफोसिनेट और इसके सॉल्ट, तकनीकी और फार्मुलेशन, दोनों स्वरूप हैं। उत्पाद के दायरे में ग्लुफोसिनेट तकनीकी और ग्लुफोसिनेट फार्मुलेशन शामिल हैं। ग्लुफोसिनेट के सभी स्वरूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।
 - ख. जहां विचाराधीन उत्पाद का तकनीकी स्वरूप में आयात किया जाता है, इसे फार्मुलेशन स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है। तकनीकी से फार्मुलेशन स्वरूप में यह परिवर्तन केवल एक वृद्धिशील प्रक्रिया है। ग्लुफोसिनेट तकनीकी और ग्लुफोसिनेट फार्मुलेशन पृथक-पृथक उत्पाद नहीं हैं बल्कि केवल समान उत्पाद के भिन्न स्वरूप हैं।
 - ग. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद आयातित उत्पाद के समान उत्पाद है।
 - घ. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर 'घरेलू उद्योग' ठहरता है। आवेदक उत्पाद के तकनीकी स्वरूप का एकमात्र उत्पादक है।

- ड. नियम 5(3) के संदर्भ में आवेदक स्थिति के मापदंडों को पूरा करते हैं। आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख समानुपात ठहरता है।
- च. चीनी उत्पादकों में से एक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और जांच में भाग लिया है। तथापि, यह देखा गया है कि प्रतिभागी चीनी उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यातों में और डीजी सिस्टम्स में रिपोर्ट किए गए आयात आंकड़ों में भारी अंतर है। इसलिए, प्राधिकारी ने प्रतिभागी चीनी उत्पादक के संबंध में पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।
- छ. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक है। अतः, यह स्थापित किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात उल्लेखनीय रूप से पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
- ज. कुल आयात आधार वर्ष में 590 एमटी से बढ़ कर जांच की अवधि में 1296 एमटी हो गए हैं। विगत में किए गए आयात निर्यात के प्रयोजन हेतु थे।
- झ. घरेलू बाजार में खपत के लिए आयात वर्ष 2020-23 में आरंभ किए गए थे और जांच की अवधि में इसमें तीव्र वृद्धि हुई है।
- ञ. क्षति अवधि में उत्पाद की आयात कीमत में गहन गिरावट आई है। चूंकि, आयात कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, आयातों की मात्रा में बहुत कम अवधि में ही उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।
- ट. ग्लुफोसिनेट तकनीकी की आयात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तकनीकी स्वरूप की बिक्रियों की लागत से महत्वपूर्ण रूप से निम्न है।
- ठ. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन को बंद करने के लिए विवश किया है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के संयंत्र अक्तूबर से दिसंबर तक की अवधि के लिए बन्द किए गए थे।
- ड. आयात मात्राओं में तीव्र वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- ढ. जांच की अवधि में आवेदक की घरेलू बिक्रियों में 48% तक की गिरावट आई है।
- ण. कम कीमतों पर तकनीकी स्वरूप की उपलब्धता ने घरेलू उद्योग की फार्मुलेशन की घरेलू बिक्रियों को विपरीत रूप से प्रभावित किया है और परिणाम स्वरूप उत्पाद के तकनीकी स्वरूप के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- त. चीन से कम कीमत वाले आयातों में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग के लाभों, नकद लाभों और निवेशों पर आय में भी गहन गिरावट आई है।
- थ. घरेलू उद्योग ने इस अवधि में महत्वपूर्ण आयातों के साथ, जांच की अवधि में मात्रा और कीमत संबंधी पैरामीटरों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- द. घरेलू कीमत और आयातित कीमत में उल्लेखनीय अंतर, चीन में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताएं, सापेक्ष रूप से कम अवधि में आयातों में उल्लेखनीय उछाल और भारत में लागत संरचना से महत्वपूर्ण रूप से कम कीमत पर आयातों पर विचार करते हुए, चीन से आने वाले आयात महत्वपूर्ण क्षति का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।
- ध. जांच ने किसी अन्य कारक को नहीं दर्शाया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं।
- न. एक आर्थिक हित प्रश्नावली को जारी किए जाने के बावजूद, उत्पाद को उपभोक्ताओं ने इस संबंध में कोई परिमाणीकरण प्रदान नहीं किया है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से कुल मिलाकर डाउनस्ट्रीम उद्योग और जनता पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- प. घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण किया है और यह प्रदर्शित किया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से कुल मिलाकर अंतिम उपभोक्ता और जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- फ. उत्पाद, उद्योग के स्वरूप तथा पाटित आयातों के कारण उत्पन्न हुई क्षति की मात्रा को देखते हुए, प्राधिकारी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना अनिवार्य और उचित समझते हैं।

ढ. सिफारिशें

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध तथा अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के तहत निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत करने तथा उसे आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना जरूरी है। प्राधिकारी इसे अनिवार्य समझते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं।
132. कमतर शुल्क के नियम का पालन करने के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के समकक्ष पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित धन राशि के समकक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष*	वस्तुओं का विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	38089190, 38089390 and 38089990	ग्लुफोसिनेट और इसके सॉल्ट	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई उत्पादक	2998	एमटी	यूएस डा.
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अतिरिक्त कोई देश	चीन जन.गण.	कोई उत्पादक	2998	एमटी	यूएस डा.

*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

133. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य निर्धारणीय मूल्य होगा जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लागू किए गए शुल्कों के अलावा, प्रयोज्य सीमा शुल्क के तहत सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।

ण. आगे की प्रक्रिया

134. निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील, जो इन अंतिम जांच परिणामों के कारण उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Trade Remedies)
New Delhi, 10th February, 2025
FINAL FINDING
Case No. ADD (OI) 17/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Glufosinate and its salt’ originating in or exported from China PR.

F. No. 6/19/2024-DGTR.—

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”) thereof, the Astral Life India Limited, UPL Limited, United Phosphorus (India) LLP, UPL Sustainable Agri Solutions Limited and Swal Corporation Limited (hereinafter referred to as the “domestic industry” or “applicants”) has filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Glufosinate and its salt (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/19/2024-DGTR dated 29th June 2024, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic injury.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 29th June 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users in India, and the other interested parties, as per the addresses made available by the applicants. The interested parties were asked to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions known in writing within the time limits prescribed in the initiation notification.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants to the known producers/exporters and to the embassies of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

- e. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers to submit their responses to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in China PR in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Name of producers/exporters in the subject country
xi.	Agrodragon Co. Ltd.
xii.	BASF
xiii.	Fuhua Tongda Agro-chemical Technology Co. Ltd.
xiv.	Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co. Ltd.
xv.	Lier Chemical Co. Ltd.
xvi.	Limen Chemical Company Limited
xvii.	Shandong Binnong Technology Co. Ltd.
xviii.	Shanghai Qizhou Ziyui Co. Ltd.
xix.	Weifiang Xinlu Chemical Co. Ltd.
x.	Yongnong Biosciences Co. Ltd.

- g. In response to the above, the following producers/exporters from China PR have responded and filed exporter's questionnaire response:

SN	Name of producers/exporters in the subject country
i.	Lier Chemical Co. Ltd.
ii.	Shanghai Agrotree Chemical Co. Ltd.

- h. The Authority also sent questionnaire to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information in accordance with the Rule 6(4) of the Rules: -

SN	Name of users/importers of the product under consideration in India
i.	Amish Crop Science Private Limited
ii.	BASF India
iii.	Crystal Crop Protection Private Limited
iv.	Krishi Rasayan Exports Private Limited

- i. In response to the questionnaire issued, Crystal Crop Protection Private Limited has filed a user questionnaire response.
- j. Submissions have been made by the China Crop Protection Industry Association (CCPIA) and the same have been duly considered in the present final finding.
- k. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to or not supplied relevant information to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- l. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the applicants. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Only the applicants have filed the economic interest questionnaire. No other interested party has filed an economic interest questionnaire.
- m. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January 2023 to 31st December 2023 (12 months). The injury analysis period covers 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
- n. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if required, within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential version application. Based on submissions of certain interested parties, a meeting was held on 22nd August 2024 to discuss the need for PCN methodology.
- o. The scope of the product under consideration and the PCN methodology for the investigation was notified on 5th September 2024.
- p. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity for the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 18th October 2024 in hybrid mode. The parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- r. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis.
- s. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in this final finding.
- t. The Authority conducted the physical verification at the premises of the applicants to the extent considered necessary for the purposes of present investigation.
- u. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the applicants on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- v. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 21st January 2025 and the interested parties were allowed time up to 28th January 2025 to comment on the same. The

- submissions made by the interested parties, arguments raised, and the comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final finding notification.
- w. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
 - x. “***” in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$= **Rs. 83.52**.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration in the present investigation is glufosinate and its salt. The product under consideration is also known as glufosinate ammonium (D, L phosphinothricin or 2- amino-4-(hydroxy methyl phosphonyl).

Glufosinate is white to light yellow crystalline solid with slight pungent odor and is highly soluble and volatile material. Glufosinate is traded in two forms i.e. technical and formulation and both are part of the scope of the product. The entire consumption of glufosinate technical is in the production of glufosinate formulation. Glufosinate technical does not have any independent use and has to be compulsorily processed into formulation in order to use it. The process from the stage of technical to formulation is single step process. Glufosinate in formulation form is not imported due to commercial considerations as the major concentration is of water and higher shipping costs.

The product under consideration does not have dedicated classification under the Customs Tariff Act, 1975. However, the product is imported under 38089190, 38089390 and 38089990. The custom classification code is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.”

C.1 Submission of the other interested parties

5. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of product under consideration and like article.
 - i. Glufosinate technical and formulation cannot be considered as like article in terms of Rule 2(d) of the Rules as they are not substitutable.
 - ii. By including formulation inside the scope of the product, applicants have tried to invoke the provision of circumvention which is applicable only once duties are imposed. However, goods which are not imported cannot be included in the scope.
 - iii. Glufosinate formulation is neither imported nor importable into India. The import of formulation requires a specific license. There is not a single license for the entire formulation category.
 - iv. Obtaining license is a costly and time-intensive process spanning 3 to 4 years. This includes submitting test reports across two seasons over two years, with final product approval contingent upon CIBRC’s rigorous evaluation and decision, often specific to the intended crop.

- v. There are other viable substitutes available in the market. In case the price of formulation increases, the farmer will purchase other substitutes.
- vi. Authority should conduct spot verification of the producers of formulation to check the conversion cost from technical to formulation.
- vii. The applicants relied on the combined investigation of Hot and Cold Rolled products ignoring the fact that separate investigations for these products were also conducted and concluded. Decisions by quasi-judicial bodies are binding only on the specific parties involved in the original case.
- viii. Contrary to the submission of the applicants, the value addition undertaken by the importers from converting technical to formulation is 30%.
- ix. In the panel report adopted by the Committee on Subsidies and Countervailing Measures on 28 April 1992 - Concerning Wine and Grape Products - United States - Definition of Industry, it was concluded that since two separate industries existed for wine-grape growers and wineries, therefore, both cannot be said to be of same industry. Same principle should be applied here.
- x. The applicants have relied on various ongoing investigations. The applicants cannot rely on those cases where finding is yet to be issued by the Authority.
- xi. Paraquat is potential substitute of the subject goods. Both Paraquat and Glufosinate have stringent usage policies in India to ensure safe application and minimize health risks.

C.2 Submission of the applicants

6. The applicants have submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. Prior to commencement of production by UPL group, there were no production in India. UPL introduced the product in the domestic market. The first plant was set up in 2016.
 - ii. Glufosinate technical is primarily produced in China PR and India, with minimal production in EU. Faced with competition from China, even the producer in EU Union has stopped production of technical and reduced its operations to conversion of imported technical from China to formulation.
 - iii. Since 2004, the Directorate of Weed Science has promoted Glufosinate for its safer, residue-free, and consistent weed control compared to paraquat and glyphosate.
 - iv. UPL Group launched the product in India in 2018, conducting around 72,000 village-level demonstrations and over 58,900 field days, cumulatively amounting to 161 years of employee effort, reaching nearly 1 million farmers.
 - v. Glufosinate technical is generally traded with 95% concentration. Glufosinate formulation can be with 13.5% concentration or 50% concentration. Glufosinate formulation is nothing but a diluting of glufosinate technical with solvents by incurring an incremental cost.
 - vi. Due to high water content, transporting glufosinate in formulation form is commercially unviable due to higher shipping costs. Only glufosinate in technical form is imported from China. There are limited formulation imports from the EU.
 - vii. The product produced by the applicants and imports from the subject country share similar characteristics, manufacturing processes, and uses, making them commercially interchangeable. Glufosinate formulation and technical bear the same characteristics. The process of glufosinate technical to formulation does not alter the chemical/technical characteristics. It merely dilutes the concentration of the material.
 - viii. There is no specific provision in the WTO Anti-Dumping Agreement which provides for the parameters for determination of the product under consideration. Glufosinate technical does

- not have independent use and must be compulsory processed into formulation. The entire consumption of imported glufosinate technical is in the production of glufosinate formulation.
- ix. The per unit investment in technical is more than Rs [***] per MT, while the per unit investment in case of formulation is in the region of Rs [***] per MT. Conversion of technical to formulation does not require huge investment.
 - x. Converting glufosinate to formulation involves simple dilution with low-cost solvents like Ammonyx Mo and Myristyl Amine Oxide, making it a minor incremental process.
 - xi. If the cost of other raw materials purchased from the market is excluded, the cost of technical alone is around [***] of the cost of formulation. Value addition between technical to formulation is 10%.
 - xii. All forms of glufosinate must be included under the scope; otherwise, imports will shift from the technical form to the formulation.
 - xiii. In various past investigations, the Authority has included both the product under consideration and its intermediate or further processed forms inside the same scope.
 - xiv. Various authorities globally include wide range of products inside the scope of the product under consideration. The USITC expanded the scope of its investigation into imports of 2,4-D to include all herbicides containing 2,4-D, covering around 1,500 products made from 2,4-D.
 - xv. In the investigations for CVP-23 and Phthalocyanine pigments, US and China have included both the intermediate and finished forms of products in the scope of the product under consideration despite no direct exports of these intermediates.
 - xvi. The other interested parties have stated that the time required for the license is 4 years. The applicants developed glufosinate formulation in 2018, before which there was no demand for glufosinate formulation. Even if importers applied for licenses in 2019, they wouldn't have been able to import until 2023; however, they began to import in 2022.
 - xvii. The applicants export formulation to large number of countries and Europe has supplied glufosinate with 50% strengths to India.
 - xviii. The other interested parties failed to provide evidence of available substitutes for the product under consideration and withheld the product's name, citing confidentiality.

C.3 Examination by the Authority

7. At the time of initiation, the product under consideration was considered "*Glufosinate and its salts*". Glufosinate is also known as glufosinate ammonium (D, L-phosphinothricin or 2-amino-4 - (hydroxy methyl phosphinyl). The product is white to light yellow crystalline solid with a slightly pungent odor and is highly soluble and volatile material.
8. It is noted that Glufosinate is a widely employed broad spectrum herbicide. The product is mainly used in modern agriculture due to its efficacy in weed control and versatility across various crops. The primary application of the product is in row crop farming, where it is applied before or during plantation to suppress unwanted vegetation. Glufosinate utility extends to major crops such as corn, soybeans, and cotton, providing farmers with a valuable tool to combat weed competition and safeguard the health of cultivated plants.
9. The product under consideration does not have a dedicated classification. The product is being imported under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 38089199, 38089390 and 38089990 of the Tariff classification. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the subject investigation.

10. The Authority invited comments from the interested parties on the proposed PCN methodology and scope of the product under consideration. Thereafter, the Authority held a meeting with all interested parties on 27th August 2024 through hybrid mode to finalize the PCN methodology and the scope of the PUC. All the parties who presented their views at the time of deliberation were given liberty to file their submissions in writing.
11. The Authority after considering submissions made by all interested parties notified the following PCN methodology vide notification dated 5th September 2024.

SN	PCN parameter	PCN Code
1	Glufosinate technical	‘GT’
2	Glufosinate formulation	‘GF’

12. The various interested parties have objected to the inclusion of glufosinate formulation within the scope of the present investigation, primarily on the grounds that it has not been imported from China PR and it cannot be imported due to regulatory requirements in the Country.
13. The Authority deems it appropriate to mention here that the scope of the ‘product concerned’ has direct impact on the objective and purpose of the investigation. A wider scope of the product under consideration can lead to uncalled for protection, in addition to possible complexities in the conduct of the investigation. At the same time, a narrow scope of the product under consideration may fail to meet the intended objective of addressing injurious dumping in the domestic market. A narrow scope of the product under consideration may not provide requisite remedy to the domestic industry and can result in continued injury to the domestic industry because of adoption of measures by importers/users intended to avoid the measures invoked.
14. It is not disputed that all essential technical characteristics of the product are developed in the technical form of the product. However, in its technical form, the product has no usage and application. It would not perform its intended function in its technical form. It must be converted into formulation form in order to perform the intended function. Thus, while technical form contains the essential technical properties, the formulation form performs the eventual function intended to be performed by the product. Technical form has no usage as such, and the sole purpose of its production is to convert it into formulation. The technology, plant & equipment, investment, manpower, production skills are involved in production of technical form. The conversion of glufosinate technical into formulation only requires dilution with solvents. Glufosinate technical is produced first which is then converted into glufosinate formulation thorough dilution with solvents such as Ammonyx Mo, Myristyl Amine Oxide (Mo), Ammonium Sulphate, Sulphuric Acid 44%, Propylene Glycol, 1-Methoxy-2-Propanol etc. The applicants have submitted that they produce between 20 to 25 different kinds of formulation in the three formulation companies. Further, onsite verification was conducted at the formulation facilities of the domestic industry and it was noted that production facilities have been deployed for different kinds of formulation. From the information filed by the responding importer, it is seen that they are also engaged in making different types of formulation. This reinforces the point that technical is the base material and different formulations can be made out of it as per requirements. This goes on to demonstrate that Glufosinate in technical and formulation are just two forms of the same product.

15. The Authority notes that the linkage between the two forms is also evident from its application. The applicants have contended that imports of the product in technical form have been converted into formulation and then sold in competition to the formulation form sold by the applicants. The applicants have not sold technical form in the domestic market. Since the applicants have sold only the formulation form in the domestic market, it has suffered injury in the formulation form and the same has in turn impacted the performance of the technical form. This demonstrates a strong nexus between the formulation and the technical form of the product.
16. The interested parties have contended that formulation form of the product is neither imported nor importable. It is however seen that the domestic industry has exported formulation to a number of countries while European Union has exported formulation to India. The fact that import of formulation might involve higher transportation cost does not imply that it is not importable. The possibility of importation of formulation from China cannot be ruled out. Exclusion of formulation from the purview of levy of anti-dumping duty may lead to direct export of formulation from China PR, thereby nullifying the very purpose of entire exercise of providing remedy to the domestic industry against dumping of the product.
17. As regards requirement of a specific license for imports, the authority notes that mere requirement of a license does not imply that the product cannot be imported or may not be imported in future. Licensing requirements and norms are subject to change and have basis independent of trade remedy actions. The Authority does not consider it appropriate to take them into account for the investigation.
18. In view of the above, the Authority concludes that the scope of product under consideration in the present investigation is *Glufosinate and its salt, both in technical and formulation form*.
19. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers can use them interchangeably. It is concluded that the goods produced by the applicants are like articles to the product under consideration imported from the subject country.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submission made by the other interested parties

20. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
 - i. There is no basis to exclude the production of formulators from total production. The applicant's contention that a producer has to first set up facilities to produce ultimate raw material and then commence production of finished goods to be considered eligible as domestic industry is not supported by law.
 - ii. If applicants who are converting technical to formulation can be considered as eligible domestic industry, there is no reason why other formulators cannot be considered as part of domestic industry.

D.2 Submission made by the applicants

21. The applicants have submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
- i. The present application is filed by UPL Limited, Astral Life India Limited, Swal Corporation Limited, United Phosphorus (India) LLP and UPL Sustainable Agri Solution Limited.
 - ii. The applicants' plant operates at full capacity during peak demand months. To meet export demand for glufosinate formulation, applicants imported glufosinate technical from China. This was even when prices were undumped.
 - iii. The entire imports by the applicants were made for a unit set up in the free trade zone area and solely for export market.
 - iv. The imports were made from an unrelated exporter in China, with no related Chinese entities involved in the process.
 - v. The imported glufosinate technical was processed into formulation for the export market, with no volume used in domestic formulations. Additionally, the volume of these imports is minimal relative to the applicants' overall production.
 - vi. The applicants have expanded their production capacity over the injury period, maintaining their role as producers rather than shifting to importer-traders.
 - vii. UPL Limited is the sole producer of the product in India. Production of formulators cannot be considered for ascertaining total Indian production as they are importing one form of product under consideration and processing it to make another form.
 - viii. Since formulators have imported technical form of the product under consideration, they cannot be considered as eligible domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the producers."

23. The present application has been filed by UPL Limited, Astral Life India Limited, United Phosphorus (India) LLP, UPL Sustainable Agri Solutions Limited and Swal Corporation Limited.
24. It is noted that applicant companies are producing glufosinate in both technical and formulation form. UPL Limited produces the product in technical form, which is processed further by UPL Limited, Astral Life India Limited, United Phosphorus (India) LLP into formulation. UPL Sustainable Agri Solutions Limited and Swal Corporation Limited are engaged in selling the formulation form in Indian market, while UPL Limited is engaged in exporting technical and formulation form to a number of countries. The applicant companies are related to each other and thus constitute one group of companies. UPL Limited has not sold technical form to any unrelated entity in India. Further, the related group companies have not bought Glufosinate technical from any domestic producer in India.

25. The imports in SEZ unit made by UPL Limited during the period of investigation, accounted for only [***] of their own production. It is seen that the imports are not significant in proportion to production undertaken by the applicants and thus do not alter the predominant manufacturing status of the applicant. The applicants have certified not having sold any material in the DTA either in technical form or in formulation form.
26. Crystal Crop Protection Private Limited and Krishi Rasayan Limited imported glufosinate technical, processed it into glufosinate formulation and sold in the domestic market, in competition to the applicants.
27. Astral Life India Limited and United Phosphorus (India) LLP have taken technical form from UPL and converted the same into formulation. Thereafter, the formulation has been sold both in the domestic and global market. The company has sold formulation form in the domestic market in competition to Crystal Crop Protection Private Limited and Krishi Rasayan Limited (the companies who have imported technical form from China).
28. The Authority considers that companies who do not have the manufacturing facilities for production of glufosinate technical and are engaged in merely formulating technical form cannot be considered domestic industry within the meaning of Rule 2(b) for the reason that the product under consideration in the present investigation includes both the technical and formulation form and these companies have imported one form of the product under consideration and merely converted it to another form. Technical and formulation are merely two forms of the same product with major investment, production technology, manufacturing activities, plant & equipment, employment, raw materials, production skills involved in production of technical form. It is, therefore, essential for the domestic producers to be a manufacturer of technical form in order to be treated as an eligible domestic industry. These companies have imported the technical form of the product under consideration and the same is considered as “imports into India”
29. In view of the above, considering the provisions of Rule 2(b) and facts of the case, the Authority concludes that the applicants account for a major proportion of the total domestic production of the subject goods. The Authority concludes that the applicants collectively constitute domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E. 1 Submission made by the other interested parties

30. The other interested parties have submitted as follows with regards to confidentiality and miscellaneous:
 - i. The applicants have grossly violated the Trade Notice 10/2018. The applicants must provide actual information relating to production quantity, capacity utilization, sales volume and value, no. of employees.
 - ii. The Trade Notice No. 10/2018 does not provide any specific directions to conceal data solely because it is a group of companies. Instead, the Trade Notice explicitly states that in cases involving multiple producers, information should be provided in actual numbers.
 - iii. It needs to be clarified if the applicants obtained DGTR's permission to deviate from the Trade Notice. If permission was granted, communication must be shared. If no request was made, the investigation should be terminated.

- iv. There is no formal “UPL Group” for which submissions were made. The information has been submitted by individual entities.
- v. All economic parameters should be disclosed in a manner that allows for a comprehensive assessment of the situation. Failure to comply with the trade notice, has impacted the ability of the interested party to accurately evaluate the economic impact on the market.
- vi. Applicants have not provided any information or evidence on consumption of products by farmers and that the product under consideration are more effective than other herbicides.

E. 2 Submission made by the applicants

31. The applicants have submitted as follows with regards to confidentiality and miscellaneous:
 - i. The applicants have provided justification for claiming the import volume as confidential as the imports in past were being made by the applicants only and the disclosure of the import volume would have resulted in the disclosure of imports made by the applicants.
 - ii. The data in regard to economic parameters pertains to five entities, all are part of the UPL Group, meaning the data effectively represents UPL alone.
 - iii. If the interested parties were aggrieved by the excessive confidentiality claimed by the applicants, they should have filed comments within the time limit prescribed in the initiation notification.
 - iv. Paraquat is a highly toxic herbicide, harmful to humans and wildlife. The U.S. Environmental Protection Agency classifies it as “restricted use,” limiting its application to licensed users, and it is banned in 32 countries, this resulted in decline in demand.
 - v. The product under consideration is categorized as restricted, requiring importers to obtain a license from the Directorate of Plant Protection, Quarantine, and Storage before importing, although imports are not prohibited.
 - vi. Applicants are the only entities in India licensed to produce both glufosinate technical and formulation, while other Indian producers lack the necessary licenses for technical production, though some producers do formulate products from imported technical.
 - vii. The export price to other countries in the post period of investigation has declined sharply and the Authority may consider imposing benchmark form of measures.

E. 3 Examination by the Authority

32. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).
33. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a

party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

34. The submissions made by the applicants and the other interested parties concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
35. Regarding the contention raised by other interested parties that there is no formal UPL group and since there are more than 5 applicants, actual information should have been shared as per Trade Notice 10/2018. The Authority notes that even though UPL group is not a legal entity, the information is provided by 5 producers who are a part of one group of companies. Only one entity is engaged in production of technical and two entities are involved in production of formulation. The rationale behind disclosure of actual data in case of multiple producers filing application is that it will reveal only consolidated data of different entities, while preserving confidential data of particular companies. However, the information provided in the present case relating to technical would pertain to only one company, while the information relating to sales of formulation would pertain to two affiliated companies. Therefore, the confidentiality claimed by the applicants is considered appropriate and has been accepted.
36. With regards to the contention raised by the interested parties, that paraquat is a substitutable product of glufosinate and consumers will shift to paraquat, the Authority notes that the jurisdiction of this Authority is limited to examination of unfair trade practices, and recommend appropriate remedy, if necessary, in accordance with law.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submissions made by other interested parties.

37. The other interested parties have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
- i. China's accession to the WTO expired in 2016 and China PR can no longer be treated as non-market economy.

F.2 Submission made by the applicants

38. The applicants have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
- i. The product under consideration is a highly capital-intensive unit. The per unit fixed asset employed for the product is around Rs [***] per MT. A 5% return on cost would imply only [***] return on fixed assets deployed by the applicants. This is lower than the bank rate of

- return and no producer would invest if this profit margin were considered ideal. [***] return on capital employed may be allowed.
- ii. The interested parties have failed to file an MET questionnaire. Therefore, normal value should be determined as per Para 7 Annexure I of the ADD rules.

F.3 Examination by the Authority

Normal value for China PR

39. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the

date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

40. The applicants have relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
41. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
42. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in the case of a non-market economy contained in the various judgements. These judgements provide directions regarding the implementation of Para 7 of Annexure-I of the Rules concerning the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.
43. The response to exporters questionnaire has been filed by the following producer/exporters from subject country.
 - i. Lier Chemical Co. Ltd.
 - ii. Shanghai Agrotree Chemical Co. Ltd.
44. As none of the producer from Chian PR have filed the supplementary questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value i) determined on the basis of the price ii) or constructed value in a market economy third country, iii) or the price from such a third country to any other country including India or where it is not possible on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary to include a reasonable profit margin.
45. The applicants have submitted that it was not able to gather the information on prices of the subject goods in market economy third country of price as the product is majorly produced in India or China with minor production in European Union. Further, the product under consideration does not have dedicated classification. The interested parties have also not provided any information on appropriate market economy countries. Therefore, normal value for China PR could not be determined on the basis of price from such third country to any other country, including India.
46. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports in China PR as "price actually payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has

been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

F.3.2 Export price for China PR

47. Lier Chemical Co. Ltd., a producer of the subject goods in China PR has participated and filed a complete questionnaire response. Lier Chemical Co. Ltd. has not exported the subject goods to India directly. Their exports to India have been made through unrelated exporter, namely Shanghai Agrotree Chemical Co. Ltd. Shanghai Agrotree Chemical Co. Ltd has participated in the present investigation and has provided the relevant details to the Authority in the prescribed formats.
48. During the period of investigation, Lier Chemical has reported [***] MT of the subject goods to India at the invoice value [***] US\$. It is seen that the import volume of the producer does not reconcile with the volume of imports as per DG System data which shows import volume of [*** MT].
49. A letter was issued to the producer wherein clarification was sought on the difference in the volume reported in the response and as per the DG System data. The producer has not been able to reconcile the differences. The Authority has therefore rejected the response.
50. The net export price for all producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.4 Dumping margin

51. Considering the normal value and the export price determined as explained above, the dumping margin is calculated and shown below. It is seen that the dumping margin for is positive.

SN	Particulars	Normal value	Net export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	Any producer	***	***	***	***%	20-30

G. EXAMINATION OF INJURY

G. 1 Submissions made by other interested parties

52. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- i. 2022-23 was an abnormal period and should not be considered for injury analysis on account of dramatic increase in demand.
 - ii. There was no increase in installed capacity from 2021-22 to 2022-23. However, the number of employees fell slightly, while salaries and wages nearly doubled.
 - iii. Interest and depreciation went up in 2022-23 as compared to the base year 2020-21 even though the installed capacity didn't change.

- iv. Despite the unusual circumstances in 2022-23, the applicants' performance has improved. Thus, there is no substantiated injury from imports from China PR.
- v. Return on capital employed should not be allowed at 22%.
- vi. The claim regarding production capacity in China PR is baseless. Further, the fact that the Chinese producers are likely to export to utilize surplus capacities is speculative and unsubstantiated.
- vii. Contrary to the claim of the applicants that the distributors returned the formulation form of the product because of low priced imports, the returns were made by the distributors due to poor quality.
- viii. The imports depend on the demand for the product. The imports made by applicants clearly show that intensity of the imports depends on the demand and supply function in peak and non-peak seasons. The majority of imports are happening only in some quarters.

G.2 Submissions made by the applicants

53. The applicants have made the following submissions with regard to injury and causal link:
 - i. Chinese producers are dumping glufosinate not only in Indian market but also in other markets, with the aim to eliminate competition.
 - ii. Two new formulators, Crystal Crop Protection Limited and Krishi Rasayan Limited obtained licenses for formulation without having production facilities for the technical product which led to a sharp increase in imports.
 - iii. The demand for the product declined in 2021-22, increased in 2022-23 and declined in the period of investigation. The demand shows a decline because of the imports made for export purposes. If the imports for exports are excluded, the demand will show a consistent increase.
 - iv. The imports from the subject country have sharply increased in the period of investigation. The imports increased from *** MT in the base year to *** MT in the period of investigation.
 - v. Imports from China PR for consumption in the domestic Indian market started in 2022-23 and have shot up in the period of investigation. The imports increased by 1000% in the period of investigation as compared to previous year.
 - vi. The imports from subject country increased sharply in relation to Indian production and consumption. The imports increased despite there being no demand supply gap in the country.
 - vii. There has been a sharp decline in the import price. The decline in import price is without any commensurate decline in the cost of production.
 - viii. Till 2022-23, both the import price of glufosinate technical and raw material cost of for glufosinate technical increased. However, during the period of investigation, the cost of raw material declined by 23% whereas the import price declined by 54%.
 - ix. UPL Limited has sold glufosinate technical to related parties and only formulation form has been sold in the domestic market to unaffiliated parties. Selling price of technical cannot be considered for price undercutting calculations.
 - x. The price undercutting can be calculated based on adjusted formulation selling prices to arrive at technical and the actual landed prices of technical. The Authority may also determine price undercutting by comparing applicants' formulation prices with those of other formulators using imported technical.
 - xi. The import price was significantly higher than the cost of sales of the applicants prior to the period of investigation. However, the import price sharply declined and is below the cost of sales during the period of investigation.
 - xii. While the applicants sold glufosinate in formulation form at profits, it impacted on their market share, and the applicants were forced to suspend production. If the applicants had

- continued to produce and sell, they would have been forced to sell at prices matching the import prices.
- xiii. Formulators who rely on imported technical had access to low priced material which reduced their production cost and resulted in low priced formulation being available in the domestic market.
 - xiv. In view of the growing demand for the product in the domestic and export market, the applicants increased capacity in 2021-22. The capacity of the applicants is sufficient to cater to the entire demand in the country.
 - xv. The capacity utilization declined in the period of investigation compared to base year as well as previous year.
 - xvi. The production of the applicants has sharply declined in the period of investigation. This decline is due to a decline in the domestic sales as well as export sales.
 - xvii. The market share of imports has increased from [*** % to ***%] in a period of investigation considering domestic demand for the product.
 - xviii. Due to the increase in imports from the subject country, the inventory of the applicants has sharply increased and reached at such alarming level that the applicants were forced to suspend their production.
 - xix. At the time of suspension of plant, the applicants had the inventory of Rs [*** cr.] of technical and Rs [*** cr]. of formulation.
 - xx. UPL Group has invested nearly [₹***] crore in this business. The decline in the sales volume has adversely impacted on the gross profits earned from the product.
 - xxi. During the period of investigation, the influx of low-priced imports led to a sharp decline in domestic sales for the applicants. As a result, profits before interest and cash profit declined to half. This substantial profit decline has significantly impacted the applicants' business operations.
 - xxii. The applicants provide employment to more than 500 permanent people in their plant. In addition to this, the applicants also have contractual labor. Since the plants of the applicants were shutdown from October 2023, this has adversely impacted employment.
 - xxiii. Around [***] MT of formulation worth about Rs [***] Crores was returned back by applicants' distributors in the period of investigation.
 - xxiv. The increase in imports in the period of investigation is more than 1000%, showing clear threat of the further increase in imports.
 - xxv. The monthly capacity with Chinese producers is around 12000 MT and total capacity is around 150000 MT. The capacity with the Chinese producer is significantly more than the domestic demand which will be utilized for exports.
 - xxvi. As regards the submission of the other interested parties that decline in production and sale is because of the decline in demand, the domestic industry has claimed that decline in demand applies equally to all suppliers, both domestic and foreign. It has also been submitted that imports of subject goods have increased despite the decline in demand.
 - xxvii. As regards the increase in the net fixed assets, the applicants use many inputs captively, and as production increased, the deployment of assets for these captive inputs has also increased.
 - xxviii. As regards the submission that 2022-23 was abnormal, there were no abnormal circumstances in 2022-23. As imports increased significantly during the period of investigation, the domestic industry's performance declined sharply. The fact that the applicants' performance remained stable before the surge in imports and deteriorated steeply thereafter demonstrates that the injury was directly caused by the dumped imports from China.

- xxix. As regards 22% return on capital employed, the Authority and Tribunal has taken the view that unless other interested parties demonstrate the need for consideration of a different return, 22% shall be allowed for determination of non-injurious price.
- xxx. As regards justification for inclusion of formulation, it must be included in the injury analysis because the dumping of technical forms has initially caused harm to formulation sales. The injury to formulation has directly impacted technical sales, as imports of technical are converted into formulation before being sold.

G.3 Examination by the Authority

54. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-11 thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
55. The applicants have provided segregated information on both technical and formulation form of the product. The volume for formulation has been provided at the level of equivalent of technical volume (by using conversion factor of ***). The Authority has considered production and capacity utilization in respect of technical form since the primary production activity is in production of technical, and processing of technical into formulation is a mere incremental production process. Since the applicants have sold only the formulation form in the domestic market, domestic sales, and market share of the domestic industry has been calculated considering formulation form of the product. Since the technical form of the product has been used to produce the formulation form, the cost of sales of the formulation so considered also includes the cost of glufosinate technical. Profits, cash profits, profit before interest and tax, return on investment and inventories have been considered by considering both the products. The price undercutting has been determined as explained in the relevant part below. Data relating to technical has been considered to ascertain price suppression/depression. Conversion factor of [***] has been used for converting technical to formulation or formulation to technical, wherever necessary.
56. With regard to the submission made by other interested parties for consideration of return of 22% for determination of non-injurious price is not appropriate, the Authority notes that relevant guidelines in this regard are well laid down under Annexure III of the Anti-Dumping Rules. The Authority has consistently allowed 22% return on capital employed and the same has been adopted in the present investigation as well.

a. Assessment of demand/apparent consumption

57. The Authority has determined the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the applicants and the import from all sources. The product under consideration includes both technical and formulation. The other suppliers of the formulation are

producing formulation from the imported technical. If the sales of the formulation of these entities are included, it would lead to double accounting. To enable proper comparison, the technical sales of the domestic industry (after conversion from formulation) and the technical imports of the importers have been included in the demand calculation. The volume for formulation has been considered at the level equivalent for technical.

SN	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan – Dec 23
1	Domestic industry sales (sales of formulation have been converted to technical)	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>147</i>	<i>76</i>
2	Imports from China PR (technical)	MT	590	266	931	1,296
3	Imports from other countries (sales of formulation have been converted to technical)	MT	100	53	-	-
4	Total Demand (Technical)	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>141</i>	<i>127</i>

58. It is seen that the demand for the product under consideration declined in 2021-22, increased thereafter in the year 2022-23 and declined marginally in the POI. The demand has increased over the injury period. It has been noted that the demand shows an erratic trend because of the imports were made by an SEZ unit for exports in the past period and if the same is excluded, the demand will show a consistent increase.

b. Volume effect of dumped imports

59. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S transaction wise data. The factual position is as follows. The volume for formulation has been considered at the level of technical equivalent: -

SN	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan – Dec 23
1	Imports of technical form from China PR	MT	590	266	931	1,296
B	Subject country import in relation to: -					
1	Indian production of technical	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>36</i>	<i>120</i>	<i>246</i>
2	Consumption of glufosinate	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>58</i>	<i>112</i>	<i>173</i>
3	Total imports of technical	%	86%	83%	100%	100%

60. It is seen that the volume of imports declined in 2021-22, increased sharply in both 2022-23 and the period of investigation. The imports also increased in relation to Indian production and consumption. The imports in relation to production has increased from ***% in the preceding year to ***% in POI,

and in relation to consumption increased from ***% to ***%. The imports in relation to production and consumption have also increased during the injury period.

c. Price effect of dumped imports


61. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. Further, the Authority is required to consider the impact of the dumped imports on the prices of the domestic industry by examining price suppression/ depression effects, if any.

i. Evolution of price

62. The Authority has examined the trend of import prices of technical and raw material cost and cost of sales of technical form of the domestic industry over the injury period and is shown below.

SN	Particular	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan – Dec 23
1	Import price (technical)	₹/KG	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	103	141	64
3	Cost of sales (technical)	₹/KG	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	131	149	127
5	Raw material cost (technical)	₹/KG	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	147	175	134

63. It is seen that both the import price from China and cost of sales increased till 2022-23. In the period of investigation, the cost of sales declined due to the decline in raw material cost. However, while the cost of sales declined by 22 index points, the import price declined by 76 index points. The decline in the import price is materially higher than the decline in cost of sales. It is also seen that with a decline in the import price, the import volumes have shot up.



64. It is also noted that the price of imported technical was above cost of sales of the domestic industry prior to the period of investigation. However, it is materially below the cost of sales in the period of investigation.

ii. **Price undercutting**

65. The Authority has defined PCN methodology in the present case. Glufosinate technical and formulation has been accorded separate PCN. Therefore, price undercutting is required to be determined at PCN wise. The product which has been imported from the subject country is glufosinate technical. The domestic industry has sold glufosinate technical only within the group, to its affiliated entities. Only glufosinate formulation has been sold in the domestic market. Therefore, the price undercutting has been examined using two alternative methodologies-

- i. comparing the import price of glufosinate technical with the adjusted selling price of technical by the domestic industry. The selling price of formulation by the domestic industry has been adjusted for costs incurred between technical & formulation;
- ii. comparing the selling price of formulation by the importers (who imported technical and sold formulation) with the selling price of formulation of the domestic industry. The response filed by the cooperating importers has been used for this purpose and their selling price has been considered for comparing with the selling price of the domestic industry.

66. The table below shows the price undercutting considering the selling price of formulation of the domestic industry and adjusting it with the cost incurred in converting technical to formulation. It is seen that the price undercutting is significantly high.

SN	Particulars	UoM	Jan-Dec 23
1	Net Selling Price of formulation	₹/KG	***
2	Cost incurred in technical to formulation	₹/KG	***
3	Constructed selling price of technical	₹/KG	***
4	Landed price of technical	₹/KG	1,002
5		₹/KG	***
6	Price undercutting	%	***
7		%	150-200%

67. The table below shows the price undercutting considering the selling price of formulation by importers who import technical to make formulation, and the selling price of the domestic industry for formulation sold in the domestic market.

SN	Particulars	UoM	Jan-Dec 23
1	Selling price of domestic industry formulation	₹/KG	***
2	Selling price of importers' formulation	₹/KG	***
3		₹/KG	***
4	Price undercutting	%	***
5		%	10-20%

68. It is seen that the importers have sold the product at prices materially lower than the domestic industry prices.

iii. Price suppression/depression

69. The table below shows the cost of sales and the selling price of formulation of the domestic industry.

SN	Particular	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Selling price of formulation	₹/KG	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	124	160	155
3	Cost of sales of formulation	₹/KG	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	128	140	167

70. It is seen that domestic industry has been able to increase their selling price till 2022-23. The selling prices have declined in the period of investigation, while the cost of sales has increased. It is however seen that the domestic industry continues to remain profitable. The domestic industry, however, submitted that they have not adjusted their prices in response to imports considering the nature of market, but lost significant sales and market share as a result of significant difference in the domestic and imported product prices.

71. The table below shows the import price of glufosinate technical and the cost of sales of glufosinate technical of the domestic industry. It is seen that whereas the cost of sales of technical has increased over the injury period, the import price of technical has declined significantly over the injury period, and very significantly as compared to preceding year.

SN	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Cost of sales of technical	₹/KG	932	***	***	***
2	Trend	Index	100	131	149	127
3	Import price from China PR of technical	₹/KG	1,401	1,441	1,972	903

d. Economic parameters of the domestic industry

i. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

72. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period. Since the product is first produced in technical form, capacity, production, and capacity utilization have been considered for technical form. Domestic sales have been considered for the product (formulation - equivalent to technical) which has been sold in the domestic market.

SN	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Capacity of technical	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	119	119	124
2	Production of technical	MT	***	***	***	***

	Trend	Index	100	125	132	89
3	Capacity utilization of technical	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	105	111	96
4	Domestic industry sales technical (sales of formulation have been converted to technical)	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	147	76
5	Export sales technical	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	108	97	84
6	Export sales formulation (sales of formulation have been converted to technical)	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	148	190	118

73. It is seen that the domestic industry expanded their capacity in 2021-22 and then further in the period of investigation. It has been stated that capacity expansion was undertaken in view of growing demand for the product in the domestic and global market. The domestic industry exports significant share of their production in the global market.
74. The domestic industry's production grew steadily until 2022-23 but experienced a sharp decline during the period of investigation. This decline is attributable to decline in domestic and export sales. The domestic industry was forced to suspend production, and the plant was shut down for 3 months from October 2023 to December 2023.
75. The capacity utilization for the product increased till 2022-23 but declined significantly in the period of investigation. Capacity utilization has declined compared to base year as well as previous year and is lowest in POI over the injury period.
76. The domestic sales of the domestic industry increased till 2022-23, but sharply declined in the period of investigation. The sales have declined sharply in POI as compared to previous years.

ii. Market share

77. The information on the market share of different entities is given below: -

SN	Particular	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Domestic industry (formulation equivalent to technical)	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	134	104	60
2	Subject country (technical)	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	58	112	173
3	Other countries (technical)	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	69	-	-

78. It is seen that the market share of the domestic industry increased in 2021-22, declined in 2022-23 and then declined steeply in the period of investigation. It has been stated that, the market share of the Chinese imports represented imports made by the domestic industry for export of formulation. If

these imports are excluded, the imports had no market in 2020-21 and 2021-22. The imports started in 2022-23 and their share shot up in the period of investigation.

iii. Inventories

79. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Opening stock (technical and formulation)	MT	***	***	***	***
2	Closing stock (technical and formulation)	MT	***	***	***	***
3	Average stock (technical and formulation)	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>86</i>	<i>120</i>	<i>243</i>

80. It is seen that the inventories with the domestic industry increased sharply in the period of investigation. The domestic industry submitted that they had inventory of Rs [***] crore just for technical and Rs [***] crores of formulation and were forced to suspend production in view of high inventories. Further, the domestic industry faced return of material from market, valued at about Rs [***] crores.

iv. Profitability, cash profit and return on capital employed

81. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment. Since the domestic industry have sold formulation in the domestic market and the injury analysis is required to be considered for domestic operations, the Authority has considered the below data for formulation.

SN	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Profit before tax (formulation)	₹ Lacs	7,483	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>283</i>	<i>102</i>
2	PBIT (formulation)	₹ Lacs	7,902	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>281</i>	<i>103</i>
3	Cash Profit (formulation)	₹ Lacs	7,546	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>283</i>	<i>102</i>
4	ROI (formulation)	%	25%	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>79</i>	<i>182</i>	<i>88</i>

82. It is seen that profit before tax increased till 2022-23. However, with the decline in the sales volumes, profit before tax has very steeply declined by 64% in the period of investigation as compared with the preceding year.

83. The significant decline in profits in POI as compared to preceding year led to significant decline in cash profit and profit before interest (PBIT). Both cash profits and PBIT declined sharply in the period of investigation as compared to previous year.
84. It is seen that the steep decline in sales in the period of investigation led to corresponding steep decline in profits, profit before interest, cash profit and return on investment.
85. The domestic industry has submitted that they opted to sacrifice market share to maintain profitable prices. However, with the decline in the sales volumes, profit before tax has very steeply declined in the period of investigation as compared with the preceding year.
86. The domestic industry submitted that they have invested close to Rs [***] cr. in business and such steep decline in the profits has adversely impacted their operation.

v. Employment, wages and productivity

87. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	No of employees (technical and formulation)	Nos.	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	107	112	105
2	Productivity per day (technical)	Nos.	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	125	132	120

88. The number of employees increased till 2022-23 but declined in the period of investigation, as the domestic industry was forced to suspend production. The wages paid also increased till 2022-23 but have declined in the period of investigation. Due to suspension of production, productivity per day has declined in the period of investigation as compared to previous year. The domestic industry submitted that they have employed more than 500 persons in their plant. The above employment is only dedicated employment in the technical and formulation production plants and does not include employment in formulation sales operations.

vi. Growth

89. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per given table below:

SN	Particulars	UoM	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Capacity	%	19%	0%	4%
2	Production	%	25%	6%	-32%
3	Domestic sales	%	3%	42%	-48%
4	Market share	%	5%	-1%	-44%
5	Profit per unit	%	16%	66%	-30%
6	Profit in Rs lakhs	%	20%	135%	-64%
7	PBIT	%	20%	134%	-63%

8	Cash profit	%	20%	135%	-64%
9	ROCE	%	-21%	129%	-52%

90. It is seen that the domestic industry has recorded severely negative growth in volume and price parameters in the POI. Growth in production, domestic sales, market share, profits before tax, profit before interest, cash profits, return on investment, all were negative in the period of investigation with significant increase in imports in the period.

vii. Magnitude of dumping

91. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant in the period of investigation.

viii. Ability to raise capital investment

92. Despite having sufficient capacity to cater to the entire demand in India, the performance of the domestic industry was adversely impacted on both volume and price accounts, due to dumped imports from subject country. The decline in both volume and price parameters leading to suspension of production have adversely impacted on the ability of the domestic industry to raise capital investment.

ix. Factors affecting domestic prices

93. It is seen that the import price is materially below the cost of sales of the domestic industry. Further, the selling price of formulation sold by importers is materially below the selling price of formulation sold by the domestic industry. The domestic industry has, however, not reduced its prices in response to the imported product prices. The decline in domestic sales has been so significant that the domestic industry was forced to suspend production.

e. Threat of material injury

94. The Authority has additionally examined threat of material injury to the domestic industry by dumped imports, having regard to the provisions of Annexure II of the Rules. Since Minimum Import price was in force in the post period of investigation, the performance of the post period of investigation has not been examined.

i. Significant rate of increase of dumped imports:

95. The table below shows imports from China PR during the investigation period.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Gross imports from China (technical)	MT	590	266	931	1,296
2	Demand excluding imports made by DI for exports (technical +formulation equivalent to technical)	MT	***	***	***	***

	Trend	Indexed	100	98	140	137
3	Imports excluding imports for exports (technical)	MT	0	0	86	636

96. It is seen that, the imports from China increased significantly. The imports have increased by over 600% in the period of investigation as compared to previous year. The degree of increase in the imports is too significant, thus posing a clear threat of further increase in the imports.

ii. Substantial increase in the capacity of the exporters

97. The Authority has examined the response of the participating producers, and it is seen that the participating producers have not expanded their capacity. However, the domestic industry has provided evidence that the total designed capacity in China for the product under consideration is 1.5 lakh MT which is far more than the domestic demand in China. Demand for the product under consideration in the Indian market is between 1500 MT to 2000 MT and is much low when compared with the massive capacities in China.

iii. Imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect

98. The table below shows the relevant information.

SN	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	Jan-Dec 23
1	Cost of sales (technical)	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	131	149	127
2	Import price from China PR (technical)	Rs/Kg	1,401	1,441	1,972	903

99. It is seen that prior to the period of investigation, import price from China was higher than the cost of sales of the domestic industry. However, import prices fell sharply in the POI, and are much below the cost of sales of the domestic industry. Further, the import prices fell to a level of Rs. 903 per KG towards the end of the period of investigation. The domestic industry has further provided information on export price of glufosinate to other countries in the post period of investigation. It is seen that export price from China to other countries has further declined. Therefore, the imports are likely to have a significant suppressing/ depressing impact on the prices of the domestic industry. The domestic industry was even forced to suspend production for a significant period and faced return of material worth over Rs. [***] cr. If the domestic industry were to continue production, it would have had to sell the product at prices below cost of sales which would have resulted in financial losses.

iv. Inventories of the article being investigated with Chinese producers

100. No information has been provided by any party in this regard and therefore, the same cannot be examined.

f. Conclusion of injury

101. On the basis of the above the following has been concluded:

- i. The subject imports have entered the Indian market at dumped prices.

- ii. The imports from China have increased sharply in the period of investigation. The imports have increased in both absolute and relative terms.
- iii. The imports increased despite no demand and supply gap in the country.
- iv. There were no imports from the subject country in 2020-21 and 2021-22 for domestic consumption. The imports started in 2022-23 and have increased sharply in the period of investigation.
- v. The price undercutting by the imported product is positive and significant.
- vi. Chinese imports are below the cost of the sales of the domestic industry.
- vii. Availability of technical at lower prices has allowed formulators to sell Glufosinate formulation at lower prices. This has impacted sales of the domestic industry.
- viii. The imported product has taken away the market share of the domestic industry. As the domestic industry was unable to sell in the market, it was left with significant idle inventory and had to undertake production suspension for a significant period.
- ix. The domestic industry was forced to suspend production. The domestic industry's plant was shut down for 3 months after the period of investigation.
- x. The production and capacity utilization of the domestic industry has declined significantly.
- xi. With significant increase in imports and consequent decline in sales volumes, the domestic industry has faced a steep decline in profits, cash profits and return on investment in the POI.
- xii. The domestic industry has suffered significantly negative growth on all volume and price parameters in the POI.
- xiii. The imports are entering at prices which are likely to cause further injury to the domestic industry.
- xiv. The Chinese producers have expanded their capacities significantly and are likely to dump their product in the Indian market.
- xv. The growth in imports was too high, thus showing a clear threat of increased imports in the absence of anti-dumping duty.
- xvi. The price undercutting is too significant and is likely to result in further imports and is likely to have suppressing/depressing effects on the prices of the domestic industry in the market.

H. CAUSAL LINK AND NON-ATRIBUTION ANALYSIS

102. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

i. Volume and price of imports from third countries

103. Apart from China PR, there are imports from European Union. However, these imports are of formulation and at much higher prices. Therefore, imports from other countries are not causing injury to the domestic industry.

ii. Contraction in demand

104. It is seen that the demand for the subject goods has increased in the period of investigation compared to the base year. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to contraction in demand.

iii. Changes in the pattern of consumption

105. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

iv. Trade restrictive practices

106. No interested parties have produced any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that trade restrictive practice has not caused injury to the domestic industry.

v. Development of technology

107. The Authority notes that the technology for the production of the subject goods has not undergone any change. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

vi. Export performance

108. The Authority has considered the injury data for the domestic operations for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

vii. Performance of other products

109. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

I. ANALYSIS BY THE AUTHORITY ON CAUSAL LINK

110. It is seen that there are no other factors which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that the injury to the domestic industry has been caused by dumped imports as is established by below.

i. The imports from the subject country are at dumped prices.

ii. With the import price being low, the import volumes started entering the domestic market in 2022-23 and surged significantly in the period of investigation.

iii. As the imports from China increased, they captured the market share of the domestic industry. As the market share of the imports increased, that of the domestic industry declined.

iv. As the imports increased, the domestic industry faced a steep decline in its domestic sales and faced return of material already sold.

- v. As the domestic industry lost sales, it was forced to suspend production. Dumped imports led to plant shutdown towards the end of the period of investigation for three months.
- vi. The imports from the subject country are at low prices and are below the cost and price of the applicants.
- vii. As the imports surged in the POI, the domestic industry lost significant profits, cash profits and its return on investment declined.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

111. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials and utilities and the best utilization of production capacity has been considered. It is ensured that no extraordinary or nonrecurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin.
112. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for the producer/exporter as determined by the Authority is provided in the table below:

SN	Particulars	Non-injurious price	Landed price	Injury margin	Injury margin	Range
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	Any producer	***	***	***	***	20-30

K. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

K.1 Submissions made by other interested parties.

113. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
 - i. The imposition of anti-dumping duties on glufosinate will not be in the public interest as the product is a critical herbicide. Increase in the glufosinate costs would likely be passed on to consumers, raising agricultural product prices and financially burdening lower income households.
 - ii. The subject goods are used as an essential commodity by farmers. Since there is huge demand and supply gap, any additional burden of duties will have very significant adverse impact on the large population. Therefore, duties would not be in public interest.
 - iii. Competitors like Crystal Crop Protection and Krishi Rasayan, who recently started producing formulations using imported technical Glufosinate would face undue barriers if duties were imposed. Such measures would restrict their access to technical Glufosinate from domestic producers, who primarily focus on captive consumption.

K.2 Submissions made by the applicants.

114. The applicants have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. The imposition of anti-dumping duty on glufosinate would only increase the price of the ultimate formulation price by Rs 24 per bottle of price Rs 900. One bottle of water is used in 1 acre of land. Therefore, impact of duty on the end farmer is insignificant.
 - ii. The price of glufosinate technical and formulation was higher in past and has declined recently. If those higher prices did not impact the downstream industry, the current prices would not have an adverse impact.
 - iii. The applicants allocate approximately ₹31 crore annually to societal contributions, targeting education, sustainable livelihoods, and nature conservation, benefiting around 1.5 million people. With profitability already reduced, if duties are not imposed it would negatively impact on these social initiatives.
 - iv. Producers from the subject country focus solely on maximizing revenue without long-term interest in the Indian market or its consumers. If a more profitable market arises, they are likely to shift their focus. In contrast, the applicants, as domestic producers, are more committed to supporting Indian consumers' interests.
 - v. The imports of the dumped subject imports into the Indian market have caused a severe deterioration in the performance of the applicants and have caused material injury to the applicants. Therefore, the imposition of anti-dumping duty will ensure that the imports are at fair prices, which will be in the interest of the domestic industry.
 - vi. It is in the interest of the public at large to have a strong competitive domestic production of the product.
 - vii. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a remedial tool to bring fair market competition in the country. The objective of imposition of anti-dumping duty is to establish a level playing field, by removing any trade distortion by the producers in the subject country and allowing the Indian industry an opportunity for fair competition.
 - viii. The imposition of anti-dumping duty will not increase the cost of eventual end product. The other interested party has not provided any evidence to demonstrate that the imposition of duty will lead to increase in costs.
 - ix. Despite economic interest questionnaire prescribed by the Authority, the other interested parties made only mere statement without any supporting evidence, whereas the domestic industry has responded and provided impact of anti-dumping duty.

K.3 Examination by the Authority

115. The Authority considered whether imposition of the recommended anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.
116. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.

117. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market.
118. The Authority further notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the applicants.
119. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. The Authority notes that none of the interested parties have provided any information or quantified the impact of the imposition of anti-dumping duty on end users. The domestic industry provided quantified information about the impact of duty on the subject goods. Based on the calculation provided by the domestic industry, it is seen that the impact of recommended duties on the end users would be insignificant, as is evident from the table below.

SN	Particulars		Value
1	Glufosinate technical import price of POI	A	921
2	Anti-dumping duty (estimate)	B	20%
3	Price increase for technical (A X B)	C	184
4	Final price of glufosinate formulation bottle to consumer - Rs/Ltr. (https://www.indiamart.com/proddetail/upl-sweep-power-glufosinate-ammonium-13-5-w-w-sl-2852750882533.html?pos=1&DualProdsaps)	D	800
5	Glufosinate concentration in 1 liter (description)	E	13.5%
6	Likely price increase of end bottle (C X E)	F	24

120. Farmers typically mix approximately 400 ML of the product with 100 liters of water. 400 ML is then sprayed over an area of 1 acre. The consumption of the product per acre is only 0.04% per liter of water.
121. It has been contended that there is a demand and supply gap which necessitates imports into India. From the information on record, it is seen that there exists no demand supply gap in the country. The domestic industry has sufficient capacity to cater to the entire demand in the country. The domestic industry is catering to not only the demand in the country but actively exporting the product to several countries.

L. Post disclosure submissions.

L.1 Submissions made by other interested parties

122. The other interested parties have made the following comments to disclosure statement: -
- Lier has submitted relevant documentation, including invoices, which substantiate the export volume of 96 MT. Lier Chemical is unaware of why the DG System data reports 192 MT. It's a reporting error and requests the Authority to reconsider rejecting their response.
 - Return on capital employed should not be allowed at 22%.
 - There's a significant discrepancy between the data presented in the disclosure statement and the figures provided by the applicants in both the application and the written submission.

- d. Glufosinate is a critical agricultural herbicide, and higher prices resulting from duties would increase production costs for farmers, negatively impacting food security and agricultural productivity.
- e. The Authority has not addressed the 1992 report by the Panel on Committee on Subsidies and Countervailing Measures on 28 April 1992 - Concerning Wine and Grape Products - United States wherein it was concluded that wine-grape growers and wineries constitute separate industries, and therefore, cannot be considered the same industry.
- f. The Authority has not provided any reason that when both Glufosinate Technical and Glufosinate Formulation are not technically as well as commercially substitutable, how can they be considered as like articles.
- g. The Authority has not made any analysis relating to the domestic industry loss of sales due to availability of viable substitutes in the market.
- h. Separate non-injurious price and normal value may be determined to arrive at dumping margin and injury margin.
- i. Injury to the domestic industry is self-inflicted as despite imposition of minimum import price, the domestic industry is selling the product below the MIP price.
- j. UPL is exporting the goods outside India at prices significantly below the MIP. This indicates that prices have declined post-initiation, and therefore, the prices during the period of investigation may not be suitable for duty reference.

L.2 Submissions made by the applicants.

123. The applicants have made the following comments to disclosure statement: -

- a. The users have claimed a 30% value addition, as it takes into consideration the significantly high incremental costs. The cost of materials added by the consumer cannot be used to determine the value addition by that consumer.
- b. The dumping and injury margin determined by the Authority for non-cooperative producers is lower than that of the producer which has participated. Rule 6(8) of the rules requires the Authority to rely on available information for determining the net export price but does not prevent considering data from participating producers, even if rejected.
- c. In the post period of investigation, there was a significant decline in the import price from China to various countries. While prices did not decline for the Indian market because of imposition of minimum import price, export prices from China reached to as low as 6.38 USD per kg.
- d. Given the price reduction by Chinese manufacturers, the applicants request benchmark form of duty. This benchmark should be based on the landed price of imports during the period of investigation and the quantum of anti-dumping duty as determined by the Authority.
- e. Shorter duration of duty would not allow domestic industry to recover from significant injury caused by dumped imports.

L.3 Examination by the Authority

124. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating responses to such issues in this post-disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post-disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed necessary to examine further are addressed hereunder.

125. With regard to contention raised by the other interested parties that there are discrepancies in the data presented in the disclosure statement and data provided by the applicants, the Authority notes that no such discrepancy has been highlighted. Further, the data reported in the disclosure statement is the verified data.
126. With regard to contention raised by the other interested parties that the loss of the domestic sales is due to availability of the other substitutable product in the domestic market, the Authority notes that the import volume of the product under consideration from the subject country has increased while the domestic sales of the domestic industry have declined. It has already been examined in the disclosure statement that the demand for the product has increased. Therefore, there is no merit in the contention made by the other interested parties.
127. With regard to computation of different non-injurious price and normal value for glufosinate technical and formulation, the Authority notes that these two forms are two separate PCNs within the PUC. Since the formulation form of the product has not been imported in the POI, it was unnecessary to determine non injurious price and normal value, even though the domestic industry has provided all relevant information. It would have been futile to determine the normal value and NIP for formulation form when there are no imports of this form in the POI. Principles of judicial economy also demand that the separate non-injurious price and normal value need not be determined for the product type that has not been imported into India.
128. With regard to submission that imposition of duty would increase the prices of the downstream product, the Authority notes that exporters have not provided any information on the impact of proposed anti-dumping duty. Further, the investigation has shown that the impact of imposition of anti-dumping duty shall be insignificant.
129. As regards the submission on value addition by the applicants, the Authority notes that value addition is not the sole criteria for considering two forms of product as same. The Authority has found sufficient justification for inclusion of technical and formulation form as part of the product under consideration.

M. CONCLUSION

130. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- a. The product under consideration is Glufosinate and its salts, in both technical and formulation forms. The scope of the product includes glufosinate technical and glufosinate formulation. All forms of glufosinate are within the scope of the product under consideration.
 - b. While the product under consideration is imported in technical form, it is consumed in formulation form. Conversion of technical to formulation form is merely an incremental process. Glufosinate technical and Glufosinate formulation are not distinct products, but simply different forms of the same product.
 - c. The product supplied by the domestic industry is a like article to the imported product.
 - d. The applicants constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The applicants are the sole producer of technical form of the product.
 - e. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3). Production of the applicant constitutes a major proportion in the total Indian production.

- f. One of the Chinese producers filed questionnaire response and participated in the investigation. However, it is seen that there is major difference in the exports reported by the participating Chinese producer and import data reported in DG System. The Authority has therefore not determined individual dumping margin in respect of participating Chinese producer.
- g. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined. It is seen that dumping margin is significantly positive. It is thus established that the imports of the product under consideration have entered the Indian market at significantly dumped prices.
- h. The total imports have shot up from 590 MT in the base year to 1296 MT in the period of investigation. The imports in past were for export purpose.
- i. The imports for consumption in the domestic market started in 2022-23 and increased sharply in the period of investigation.
- j. Import price of the product declined steeply over the injury period. As the import price declined significantly, the volume of imports significantly increased and in a short duration.
- k. The import price of glufosinate technical is materially below the cost of sales of technical form produced by the domestic industry.
- l. Dumped imports have forced the domestic industry to shut down their production. Plant of the domestic industry were shut down for the period October to December during the period of investigation.
- m. Production, capacity utilization, and domestic sales of the domestic industry declined significantly, with sharp increase in import volumes.
- n. The domestic sales of the applicant have declined by 48% in the period of investigation.
- o. The availability of technical form at lower prices has adversely impacted the domestic industry's domestic sales of formulation and resulted in decline in production and capacity utilization of technical form of the product.
- p. With the increase in low-priced imports from China, there is a steep decline in profits, cash profits, and return on investment of the domestic industry.
- q. Domestic industry has recorded negative growth in volume and price parameters in the period of investigation, with significant imports in this period.
- r. Imports from China are causing threat of material injury, considering significant difference in the domestic price & imported price, significant unutilized production capacities in China, significant surge in imports in a relatively short period, and imports at a price materially below the cost structures in India.
- s. The investigation has not shown any other factor which could have caused injury to the domestic industry.
- t. Despite the issuance of an economic interest questionnaire, consumers of the product have not provided any quantification of how imposition of proposed anti-dumping duty would adversely impact the downstream industry and public at large.
- u. The domestic industry quantified impact of proposed duty and demonstrated that the imposition of anti-dumping duty would have an insignificant impact on end consumer and public at large.
- v. Given the nature of the product, industry and the extent of the injury caused by dumped imports, the Authority considers the imposition of anti-dumping duty for a period of five (5) years necessary and appropriate.

N. RECOMMENDATIONS

131. The Authority notes that investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to

provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link, and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

132. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of antidumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country for a period of five years (5) from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below:

DUTY TABLE

S. No.	Headin g/ sub- headin g*	Descript ion of goods	Count ry of origin	Count ry of Expor t	Produ cer	Amou nt	Unit of measure ment	Curre ncy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	380891 90, 380893 90 and 380899 90	Glufosin ate and its salt	China PR	Any Countr y includi ng China PR	Any Produc er	2998	MT	USD
2.	-do-	-do-	Any Count ry other than China PR	China PR	Any Produc er	2998	MT	USD

**The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.*

133. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable custom duties, except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

O. FURTHER PROCEDURE

134. An appeal against the determination of the Designated Authority that may arise out of these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority